



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256223
CG-DL-E-09082024-256223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]
No. 203]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

मामला सं - एडी (ओआई) - 22/2023

विषय: चीन जन. गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/23/2023-डीजीटीआर:— यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)" (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/23/2023-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 9 के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 29 सितंबर 2023 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध वस्तु ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से जांच शुरुआत अधिसूचना में विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा विहित समय सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।
- घ. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और भारत में उनके दूतावास को को भेजी थी।
- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे अपने देश के निर्यातकों / उत्पादकों को जांच शुरुआत अधिसूचना में विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें।
- च. हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आवेदन के परिचालन की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे संबंधी अपनी टिप्पणियां और प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) यदि अपेक्षित हों, को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज के अगोपनीय अंश के परिचालन के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।
- ज. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव संबंधी जानकारी मंगाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे आगे ईआईक्यू कहा गया है) भी जारी की थी।
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नवलियां भेजी थीं:
 - i. वानहुआ केमिकल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड

- ii. शेडोंग इनोव पॉलीयूरेथेन कंपनी लिमिटेड
 - iii. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - iv. शेडोंग हुआडा केमिकल न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 - v. यंताई जिनवेई केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 - vi. बाओडिंग बंगताई पॉलिमरिक न्यू-मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
 - vii. शेडोंग डॉन पॉलिमर कंपनी लिमिटेड
 - viii. चुआंग शिन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 - ix. ग्रैंड डिग्रिटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
 - x. यंताई लिंगुआ न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 - xi. निंगबो जोन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
 - xii. बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड
 - xiii. झेजियांग हुआफॉन टीपीयू कंपनी लिमिटेड
 - xiv. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 - xv. सिंगबोन न्यू मटेरियल्स (शेडोंग) कंपनी लिमिटेड और यंताई सिंगबोन न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ज. उक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया है।
- i. बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड (बी ए पी एस)
 - ii. बीएएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (बी आई टी सी)
 - iii. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बी एच के एल)
 - iv. बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल)
 - v. झेजियांग हुआफॉन टीपीयू कंपनी लिमिटेड(हुआफॉन)
 - vi. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (मिराकल)
 - vii. यंताई सिंगबोन न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - viii. सिंगबोन न्यू मटेरियल्स (शांडोंग) कंपनी लिमिटेड
- ट. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगबोन न्यू मटेरियल्स (शांडोंग) कं., लिमिटेड और यंताई सिंगबोन न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है, परंतु प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने जांच की प्रक्रिया के दौरान कोई अनुरोध भी प्रस्तुत नहीं किया है।
- ठ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं:
- i. जी आर इंडस्ट्रीज
 - ii. पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. तिरुपति ग्लोबल इंटरनेशनल
 - iv. सेन होन ली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
 - v. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज

- vi. इलेक्ट्रा एंटरप्राइज एलएलपी
 - vii. पी वी इंजीनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - viii. लैनशांग इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. कैलिसिया फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
 - x. ग्लोबकेम इम्पोर्ट्स
 - xi. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
 - xii. ले मेई प्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - xiii. अडानी इंटरनेशनल
 - xiv. सौरव फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
 - xv. एमएस केमिकल कॉर्पोरेशन
 - xvi. राजस्थान प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
 - xvii. प्लास्टिसेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
- ड. निम्नलिखित आयातक / प्रयोक्ताओं ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है।
- i. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड (बी आई एल)
 - ii. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज
 - iii. एसेटेक्स कंपनी
 - iv. रॉयल मार्केटिंग
- ढ. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है परंतु जांच की प्रक्रिया के दौरान लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- i. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज
 - ii. एसेटेक्स कंपनी
 - iii. रॉयल मार्केटिंग
- ण. निम्नलिखित कंपनियों ने न तो स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और न ही प्रश्नावली का उत्तर दिया है, परंतु जांच की प्रक्रिया के दौरान लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
- i. कैलिसिया फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड (कैलिसिया)
 - ii. जेमिनी एंड कंपनी (जेमिनी)
 - iii. एनके (इंडिया) रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(एनके)
 - iv. राजकोट मोबाइल कवर मैनुफैक्चरर एसोसिएशन ("आर एम सी ए म ए")
 - v. पीयू लेदर क्लॉथ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
- त. संबद्ध देश से ऐसे उत्पादकों / निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या जांच में सहयोग नहीं किया है, को इस जांच में असहयोगी माना गया है।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 15 दिनों का समय पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था जो 24 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हो गया। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीयूसी के दायरे या प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के लिए विहित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को कोई टिप्पणी या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

- द. तदनुसार, प्राधिकारी ने सूचना संख्या 6/23/2023-डीजीटीआर दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के माध्यम में संबद्ध जांच में पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 30 अक्टूबर 2023 से प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। कतिपय हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए 2 सप्ताह का समय अर्थात् 13 दिसंबर, 2023 तक समय बढ़ाया था।
- ध. डीजी सिस्टम और डीजीसीआई&एस से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदेवार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को वह प्राप्त हुए और उन पर जांच की शुरुआत तथा वर्तमान प्रकटन विवरण समय विचार किया गया है।
- न. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि ("पीओआई") 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की है। वर्तमान जांच की अवधि के लिए 01 अप्रैल 2019 – 31 मार्च 2020, 01 अप्रैल 2020 – 31 मार्च 2021, 01 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022 और पीओआई की अवधि शामिल है।
- प. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 21 मई, 2024 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के बारे में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद खंडन अनुरोध यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से आगे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ लिखित अनुरोध के अगोपनीय अंश को शेयर करने निदेश भी दिया गया था।
- फ. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ब. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की गई सूचना की जांच और मौके पर सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उस पर भरोसा किया गया है।
- भ. संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ उन पर भरोसा किया गया है।
- म. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल 2020 के माध्यम से विहित ढंग से परस्पर आधार पर उपलब्ध कराया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना / अनुरोध की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी।
- य. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने तक सीमा तक विचार किया है।
- कक. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच के अनिवार्य तथ्यों का ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 23 जुलाई 2024 के प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकटन किया गया था और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई तत्संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में ध्यान दिया गया है।
- खख. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- गग. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा पीओआई के लिए अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81.06 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के समय यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

- “3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन” (“टीपीयू”) है। टीपीयू एक पिघल प्रक्रिया योग्य थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें प्लास्टिक और रबड़ के अद्वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल, ग्रीज और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, छरों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिव्स द्वारा संशोधित रूप में हो सकता है, शामिल है।
4. टीपीयू एक अद्वितीय प्रकार का प्लास्टिक है जो रबड़ और प्लास्टिक के बीच की खाई को पाटता है। टीपीयू एक तरफ रबड़ और दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक सामग्री को चिन्हित करने वाली कई शक्तियों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए टीपीयू को मान्यता और संपीड़ित भार के तहत विकृत किया जा सकता है। लेकिन बाद में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसके अलावा, इसे गर्म होने पर खींचा जा सकता है, और जब गर्म भी किया जाता है, तो उन्हें बार-बार पिघलता और ढाला जा सकता है। टीपीयू की बहुमुखी प्रतिभा की कुंजी यह है कि इसकी कठोरता को अत्यधिक अनुकूलित किया जा सकता है। टीपीयू रबड़ की तरह नरम या कठोर प्लास्टिक की तरह कठोर हो सकता है। टीपीयू पकड़ प्रदान करने के लिए पारदर्शी या रंगीन या कठार या नरम / चिकना हो सकता है।
5. टीपीयू पॉलीओल्स (पॉलिएस्टर या पॉलीथर या पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित या इनमें से एक संयोजन) डायसोसाइनेट्स और शार्ट-चेन डायोल्स की प्रतिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए इनमें एडिटिव्स जोड़े जा सकते हैं। सभी तत्वों के संयोजन से कठोरता और यांत्रिक गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। विचाराधीन उत्पाद आवेदक द्वारा विभिन्न ग्रेड में पेश किया जाता है। हालांकि ये अलग-अलग ग्रेड केवल गुणों के संदर्भ में भिन्न हैं। जिन्हें प्रक्रिया मापदंडों पर नियंत्रण और विशिष्ट एडिटिव्स के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी ग्रेड एक वस्तु के रूप में समान रहते हैं।
6. उत्पादन के दायरे में पॉलिएस्टर आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीएथर आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।
7. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मोटर वाहन उपकरण पैनेलों, कृषि (पशु आईडी टैग), कास्टर पहियों, बिजली उपकरण, खेल के सामान, चिकित्सा उपकरणों, ट्यूब व नली, बेल्ट और प्रोफाइल उद्योग, फुटवियर, इनफ्लेटेबल राफ्ट, एक्सट्रूडेड फिल्म, शीट और प्रोफाइल अनुप्रयोगों की विविधता, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाहरी मामलों, लैपटॉप के लिए की-बोर्ड रक्षक आदि सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। टीपीयू, प्रीमियम मोटरसाइकिल के साथ-साथ यात्री कार बाजार के अंदरूनी हिस्से में रबड़ और पीवीसी (पोलीविनाइल क्लोराइड) का स्थान ले रहा है।
8. जांच अधिनियम उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के कस्टम टैरिफ शीर्षक 39095000 के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि, यह संभव है कि विषय वस्तुओं को अन्य शीर्षकों के तहत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन जन. गण. से भारत को निर्यातित पीयूसी के विनिर्देश, कम मूल्यवर्धित उत्पादों से उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों में रूपांतरित हो रहे हैं। उत्पादन डिजाइन की जटिलता और उपभोक्ता अनुकूलन की मांग बढ़ गई है। कुछ तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की ऐसी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

- ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु ऐसे उपभोक्ताओं को कड़ी मांग को पूरा नहीं करती है जो फुटवियर के निर्यातक हैं और अपने फुटवियर के सोल एनके से लेते हैं।
- ग. कैल्सिया और जेमिनी ने घरेलू उद्योग से टीपीयू ग्रेड लिए हैं। तथापि, वह अन्य देशों में उनके ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं करते हैं। झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड, चीन गुणवत्ता विनिर्देशों और कीमत करारों के लिए अन्य देशों में अपने ग्राहकों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है। यह भी अनुरोध किया गया है कि उपभोक्ताओं जो प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, से यह अनुमोदन आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की आवश्यक जांच के बाद प्राप्त हुआ है।
- घ. एक्सेल के उपभोक्ता ने अपने आपूर्तिकर्ता झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड, चीन की व्यापक जांच की है और वह एक मात्र कंपनी थी जिसने अपने उपभोक्ता की कड़ी परीक्षण जरूरतों को पास किया था।
- ड. अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड वैश्विक पुनः चक्रण योग्य मानक ग्रेड (“जीआरएस” ग्रेड) के प्रयोग की वकालत करते हैं ताकि पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता को बढ़ावा दिया जा सके। घरेलू उद्योग इन ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है। ये ग्रेड वैश्विक रूप से कुछ चुनिंदा विनिर्माताओं द्वारा ही विनिर्मित होते हैं और चीन जन. गण. इस श्रेणी में सबसे बड़ा है। वर्तमान आपूर्तिकर्ता झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने पहले ही जीआरएस ग्रेडों के विनिर्माण के लिए जीआरएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और अन्य देशों में उनके उपभोक्ताओं ने उनके गुणवत्ता विनिर्देशन भी अनुमोदित किए हैं।
- च. घरेलू उद्योग भी टीपीयू बनाने के लिए चीन जन. गण. से अपनी कच्ची सामग्री के प्रमुख आयातों पर निर्भर है। घरेलू उद्योग के पास अपनी भारतीय सुविधा है, जो पुरानी प्रौद्योगिकी की है, में केवल सीमित ग्रेडों के उत्पादन की सुविधा है। घरेलू उद्योग के उत्पाद / ग्रेड मोबाइल, फोन कवर अनुप्रयोगों के तकनीकी रूप से अक्षम हैं।
- छ. लेदर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि उसके सदस्य पॉलीयूरेथेन रेज़िन (“पीयू रेज़िन”) का अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में एक इनपुट उत्पाद के रूप में प्रयोग करते हैं। पीयू रेज़िन और टीपीयू समान सीमा शुल्क टैरिफ शुल्क अर्थात् 39095000 के अंतर्गत आते हैं। एसोसिएशन यह आशा करती है कि यदि प्राधिकारी द्वारा टीपीयू पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है और वित्त मंत्रालय द्वारा उसे लगाया जाता है तो आयात के समय सीमा शुल्क में दोनों उत्पाद के बीच भ्रम हो सकता है। इस प्रकार एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि पीयू रेज़िन को पीयूसी के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाए।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर पीयूसी के दायरे संबंधी कोई टिप्पणी या अनुरोध नहीं किए हैं ना ही पीसीएन संबंधी कोई भी अनुरोध नहीं किए हैं।
- ख. कैल्सिया, जेमिनी, एनके और आरएमसीएमए ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है और आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार पीयूसी के दायरे संबंधी उनके लिखित अनुरोध पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए।
- ग. व्यापार सूचना संख्या 11/2018 हितबद्ध पक्षकारों के पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के महत्व संबंधी जांच प्रक्रिया को सुचारू बनाने की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, यदि कोई कंपनी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं होती है और दी गई समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर नहीं देती है तो प्राधिकारी उस कंपनी के अनुरोध पर ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार पंजीकरण करता है परंतु प्रश्नावली का उत्तर नहीं देता है तो उसके अनुरोध को कम महत्व दिया जाएगा।
- घ. फोरेच इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्राधिकारी द्वारा उनकी स्वयं की व्यापार सूचनओं में निर्धारित पर्याप्त और

प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को सभी मामलों में पूरा करना होगा और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा ढील नहीं दी जा सकती है।

- ड. प्राधिकारी को संबद्ध जांच में कैलिसया, जेमिनी, एनके और आरएमसीएमए को हितबद्ध पक्षकार नहीं मानना चाहिए। परिणामस्वरूप कैलिसया, जेमिनी, एनके और आरएमसीएमए द्वारा किए गए अनुरोध को केवल इस कारण से अस्वीकृत कर देना चाहिए।
- च. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज, रॉयल मार्केटिंग और एसेटेक्स कंपनी ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है परंतु आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- छ. मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय मामले में माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण (सीस्टेट) ने यह संमुक्ति की कि यदि आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं देता है तो पाटनरोधी जांच में वह स्वयं को एक आयातक के रूप में स्थापित नहीं कर सकता है।
- ज. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज, रॉयल मार्केटिंग और एसेटेक्स कंपनी को असहयोगी आयातक / प्रयोक्ता माना जाना चाहिए और व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के अनुसार इनके द्वारा किए गए अनुरोधों को कम महत्व दिया जाना चाहिए।
- झ. कैलिसया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने यह दर्शाने के लिए अपने आयातों संबंधी कोई सूचना नहीं दी है कि उनके द्वारा जीआरएस ग्रेड का आयात किया गया है। इस प्रकार यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि क्या जीआरएस ग्रेड के आयात संबंधी उनका दावा सही है या नहीं और यह भी कि क्या घरेलू बाजार में जीआरएस की कोई मांग है।
- ञ. यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोलड स्टील उत्पादों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 जून 2020 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह संमुक्ति की थी कि जब या सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि क्या उत्पाद की किसी मांग को बाहर रखने का अनुरोध किया गया है तो उस उत्पाद प्रकार को बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- ट. कैलिसया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने जीआरएस ग्रेड के कोई तकनीकी विनिर्देशन प्रदान नहीं किए हैं और यह सामान्य और धारणात्मक अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग जीआरएस ग्रेड का उत्पादन नहीं कर रहा है। जीआरएस ग्रेड के सामान्य विवरण पर आधारित अपवर्जन के दावे के लिए आधार टीपीयू को जीआरएस ग्रेड के आयात घोषित करके भविष्य में पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना का अवसर सृजित करना है।
- ठ. जीआरएस किसी अंतिम उत्पाद में पुनः चक्रण की सामग्री की मात्रा की जांच और सत्यापन करने के लिए एक शैक्षिक मानक उत्पाद है। यह मानक पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होता है और पता लगाने, पर्यावरण सिद्धांतों, सामाजिक अपेक्षाओं, रासायनिक मात्रा और लेबलिंग का समाधान करता है। जीआरएस में न्यूनतम 20 प्रतिशत पुनः चक्रण सामग्री वाले सभी उत्पादों का प्रसंस्करण, विनिर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, व्यापार और वितरण शामिल है। इसमें पुनः चक्रित मात्रा के तीसरे पक्ष के प्रमाण, अभिरक्षा श्रृंखला, सामाजिक और पर्यावरण प्रक्रियाएं और रासायनिक प्रतिबंध के लिए अपेक्षाएं भी निर्धारित हैं। यह मानक अपने उत्पाद में पुनः चक्रण मात्रा का सत्यापन देखने वाली कंपनियों तथा इन उत्पादों के उत्पादन में उत्तरदायी सामाजिक, पर्यावरणीय और रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। जीआरएस का वांछित प्रभाव ब्रांडों को अधिक सटीक लेबलिंग के लिए एक साधन उपलब्ध कराना है ताकि पुनः प्राप्त सामग्रियों के प्रयोग में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके, आपूर्ति श्रृंखला में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी दी जा सके। जीआरएस का लक्ष्य उत्पादों में पुनः चक्रित सामग्री के प्रयोग को बढ़ाना और उसके उत्पादन से होने वाले नुकसान को कम या समाप्त करना है। इस प्रकार जीआरएस ग्रेड एक अनिवार्य अपेक्षा नहीं है और अलग तकनीकी विनिर्देशन वाला कोई विशिष्ट उत्पाद ग्रेड नहीं है। यह प्रभावी रूप से तैयार वस्तु में पुनः चक्रित सामग्री / कच्ची सामग्री की न्यूनतम मात्रा का एक प्रमाणन है।

- ड. कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग को जीआरएस ग्रेड की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया गया था और घरेलू उद्योग कैल्सिया और एक्सेल को ऐसे ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर पाया। घरेलू उद्योग को आज की तारीख तक संबद्ध वस्तु के जीआरएस ग्रेड की अपेक्षा विनिर्दिष्ट करने वाला कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है।
- ढ. प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया है कि वे जांच करें कि क्या किसी प्रयोक्ता / उपभोक्ता ने घरेलू उद्योग के पास पीयूसी के किसी विशिष्ट ग्रेड का ऑर्डर दिया है और घरेलू उद्योग ऐसे विशिष्ट ग्रेड की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है या उसने ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई है।
- ण. यदि जीआरएस ग्रेड के लिए ऐसे ग्रेड का कोई तकनीकी विनिर्देशन बताए बिना ही कोई अपवर्जन दिया गया है तो उसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होगी। सीमा शुल्क प्राधिकारी आयात के समय यह सत्यापन नहीं कर सकते हैं कि क्या आयातित टीपीयू जीआरएस ग्रेड है। यदि प्राधिकारी द्वारा कोई तकनीकी विनिर्देशन विहित नहीं किए गए हों।
- त. यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्याति कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोलड स्टील उत्पाद से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 जून 2020 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने कतिपय विशिष्ट ग्रेडों और / या गैर प्राइम उत्पाद को बाहर रखने के अनुरोध को अस्वीकार किया जब यह निर्धारित हुआ था कि ऐसे कोई स्पष्ट भौतिक गुण या तकनीकी अंतर नहीं हैं, जो ऐसे उत्पाद प्रकारों को अलग करते हों।
- थ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से आयातित जीआरएस ग्रेड कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापनीय और समान अंतिम उपयोग के कारण बाजार में प्रतिस्थापनीय हैं। मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय मामले में सीस्टेट ने यह संमुक्ति की थी कि जांच के उत्पाद के कतिपय प्रकार / ग्रेड को बाहर रखने की वहां पर अनुमति है, जहां आयातित उत्पाद स्वदेशी उत्पाद से वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं करता हो और इसलिए उसके आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती हो।
- द. डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने यह संमुक्ति की थी कि अपीलकर्ता ने या सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य / तकनीकी सामग्री नहीं प्रस्तुत की है कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित उत्पाद भारत में निर्यातित वस्तु से भिन्न था। उन्होंने केवल यह कहा कि वे अलग-अलग ग्रेड हैं। सीस्टेट ने अपीलकर्ता की दलीलों को रद्द कर दिया।
- ध. कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने विभिन्न ग्रेडों को अप्रासंगिक बताया जब यह ज्ञात है कि भारत आयातित ग्रेड पाटित कीमतों पर और वे घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड का स्थान ले सकते हैं।
- न. इसके अलावा, डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सीस्टेट ने भी यह तथ्य माना कि गुणवत्ता में अंतर का अर्थ यह नहीं है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।
- प. कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोधों में पहली बार जीआरएस ग्रेड के बारे में यह बताया है। कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने चीन जन. गण. में हुआफोन से संबद्ध वस्तु के जीआरएस ग्रेडों के अपने आयातों का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- फ. कैल्सिया 2019 तक नियमित रूप से घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु खरीद रहा था। तथापि, कैल्सिया ने चीन जन. गण. से आयातों से सामान लेना शुरू कर दिया। कैल्सिया ने घरेलू उद्योग द्वारा कैल्सिया को आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु या ग्रेड के बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं की। आपूर्तिकर्ता में बदलाव का कारण चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की कम पाटित कीमत है।
- ब. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीपीयू ग्रेड मोबाइल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह दावा वास्तव में गलत है। टीपीयू आदि के तकनीकी विनिर्देशनों के ग्रेड या कोई विशेष ब्यौरे के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं है जो मोबाइल कवर के उत्पादन के लिए अपेक्षित हो और जिसे घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं किया जा सकता हो। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई टीपीयू मोबाइल उत्पादन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई टीपीयू का बेहतर साइकल टाइम,

प्रसंस्करण और पारदर्शिता है, परंतु कम कीमत के कारण उपभोक्ताओं ने चीन जन. गण. से निर्यातों को अपना लिया है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए टीपीयू को मोबाइल कवर बनाने में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। मोबाइल कवर बनाने के लिए आपूर्ति किए गए टीपीयू की मात्रा और प्रमुख उपभोक्ताओं के ब्यौरे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

- भ. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए पीयूसी की गुणवत्ता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध सामान्य और निराधार आरोप हैं। किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने यह सूचित नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया टीपीयू परीक्षित था और उनके आर एंड डी विभाग या उपभोक्ता निरीक्षण दलों द्वारा अनुमोदित नहीं था। मोबाइल कवर या जूते के सोल के लिए टीपीयू के आयातक / प्रयोक्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई परीक्षण रिपोर्ट नहीं दी है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद अनुपयुक्त है। घरेलू उत्पाद के परीक्षण में विफलता या मनाही से यह पता नहीं चलता है कि वह अनुचित गुणवत्ता के लिए है।
- म. घरेलू उद्योग एक बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन का हिस्सा है जिसके भारत के बाहर देशों में भी टीपीयू निर्माण संयंत्र हैं। किसी बहुराष्ट्रीय निगम के लिए विभिन्न देशों में विनिर्माण सुविधा स्थापित करना तब संभव नहीं होता यदि उसका उत्पाद वैश्विक मानकों की गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धी नहीं हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादित टीपीयू को अन्य देशों को भी निर्यात किया है। भारत या भारत के बाहर उनके किसी भी उपभोक्ता ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए टीपीयू की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया है।
- य. जेमिनी ने घरेलू उद्योग के एक डीलर से संबद्ध वस्तु खरीदी है और जेमिनी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित गुणवत्ता और ग्रेड उनकी जरूरत के लिए उचित नहीं है। जेमिनी द्वारा केवल यह विवरण कि घरेलू उद्योग की गुणवत्ता उनके मानक के अनुरूप नहीं है जिसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए।
- कक. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी उत्पाद ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर करने के लिए गुणवत्ता कोई मापदंड नहीं है। प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के लिए दावे के आधार पर उत्पाद ग्रेड का कोई अपवर्जन न दिया जाए।
- खख. निम्नलिखित मामलों में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु की घटिया गुणवत्ता संबंधी मुद्दे पर पीयूसी के दायरे से उत्पाद प्रकार को बाहर रखने और / या भारत में उत्पाद के पाटन को क्षमा करने के लिए उचित नहीं माना गया था।
- i. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात- के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लेज्ड न्यूजप्रिंटों को छोड़कर रोलो या शीटों में प्रिंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - दिनांक 19 जनवरी 2021
 - ii. कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर से इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - 27 जुलाई 2022
 - iii. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न- से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 सितंबर 2023
- गग. इस दावे के संबंध में कि टीपीयू के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से कच्ची सामग्री का आयात करता है, घरेलू उद्योग ने पहले ही प्राधिकारी को इन आयातों का प्रकटन किया है। नियमावली में यह अपेक्षित नहीं है कि किसी उत्पादन पर पाटनरोधी शुल्क की मांग करने वाले भारत में उसके विनिर्माता घरेलू उद्योग को उस उत्पाद के लिए चीन जन. गण. से कच्ची सामग्री के आयात से बचना चाहिए।
- घघ. प्राधिकारी द्वारा की गई पूर्ववर्ती जांचों में चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करने वाले भारत का घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से कच्ची सामग्री का आयातक भी था। ऐसी जांचों के कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं:
- i. चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरियों या ट्रकों में प्रयोग होने वाले रबड़ की ट्यूब और / या फ्लैप सहित या उनके बिना नए / अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर (ट्यूबलेस टायर

- सहित) इसका नोमिनल रिम व्यास कोड 16 इंच से अधिक हो, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच अंतिम जांच परिणाम दिनांक 1 अक्टूबर 2017 – कार्बन ब्लैक जो टायर के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री है, को घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से आयातित किया गया।
- ii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोबैकशीट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 मार्च, 2022 – फ्लोरोबैकशीट के उत्पादन में प्रयुक्त पोलिविनाइलीथीन कच्ची सामग्री को चीन जन.गण. से आयातित किया गया है।
- iii. चीन जन. गण. से सोलर सेल चाहें मॉड्यूल या पैनल या ग्लास या किसी अन्य उपयुक्त सबस्ट्रेट से आंशिक रूप से या पूर्णतः संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम 22 मई, 2014- कच्ची सामग्री जैसे सिलीकोन वेफर, फ्लोरोबैकशीट, ईवीए शीटों आदि का सोलर सेल और मॉड्यूल के उत्पादन के लिए चीन जन. गण. से आयात किया गया है।
- iv. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमिनियम फोइल से संबंधित पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 मार्च, 2017 एल्युमिनियम फोइल के उत्पादन में प्रयुक्त फोइल स्टॉक को घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से आयात किया गया था।
- v. चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अलाय या गैर अलाय स्टील के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों संबंधी पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 अप्रैल 2017 – अलाय या गैर अलाय के हॉट रोलड उत्पादन के लिए जरूरी मेट कोक को आयात चीन जन. गण., जापान, इंडोनेशिया से किया गया था।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी के दायरे के संबंध में कोई भी अनुरोध घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त 15 दिनों की समय सीमा के भीतर नहीं दायर किया गया। तदनुसार, प्राधिकारी ने 30 अक्टूबर 2023 की सूचना संख्या-फा. सं. 6/23/2023-डीजीटीआर द्वारा पीयूसी के पूर्वोक्त दायरे की पुष्टि की।
8. तथापि, प्राधिकारी ने पीयूसी के दायरे के संबंध में तर्कों पर ध्यान दिया है और रिकार्ड में उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर उसकी जांच की है।
9. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी कथित आयातक या प्रयोक्ता या एसोसिएशन ने साक्ष्य सहित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में कमी संबंधी अपने दावे को सही सिद्ध नहीं किया है। इसके अलावा, पीयूसी के दायरे पर प्रश्न उठाने वाले किसी भी कथित आयातक / प्रयोक्ता या एसोसिएशन ने उनके द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के साक्ष्य और संबद्ध वस्तु के आयातक / प्रयोक्ता के रूप में उनकी स्थिति के संबंध में प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। अलग-अलग कंपनियों के किसी आयातक या प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी इस सत्यापन में असमर्थ हैं कि क्या वे वास्तव में संबद्ध वस्तु के आयातक / प्रयोक्ता हैं और संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2018 की 11 के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर नहीं देने वाले आयातकों / प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध को कम महत्व दिया जाना चाहिए।
10. अपने सदस्यों की ओर से राजकोट मोबाइल कवर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में जो संबद्ध वस्तु कथित आयातक और प्रयोक्ता हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके किसी भी सदस्य ने स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की है और सदस्यों ने आयातक या प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर भी नहीं दिया है। इस प्रकार प्राधिकारी भी संबद्ध वस्तु के आयातक / प्रयोक्ता की एक एसोसिएशन और एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में राजकोट मोबाइल कवर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का सत्यापन करने में असमर्थ हैं।
11. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना यह दर्शाती है कि भारत में प्रयोक्ता आवेदक से संबद्ध वस्तु खरीद रहे हैं। आवेदक ने यह भी बताया है कि गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के लिए प्रयोक्ताओं को आवेदक द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु को अस्वीकार करने की कोई घटना नहीं हुई है।
12. पीयूसी के जीआरएस ग्रेड से संबंधित अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- i. ऐसे आयातक या प्रयोक्ता जिन्होंने यह दावा किया है कि वे जीआरएस प्रमाणन के साथ संबद्ध वस्तु का आयात करते हैं, ने आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जीआरएस एक अलग उत्पाद ग्रेड है जिसकी अलग तकनीकी और भौतिक विशेषताएं हैं।
 - ii. ऐसे आयातक या प्रयोक्ता जिन्होंने यह दावा किया है कि वे जीआरएस प्रमाणन के साथ संबद्ध वस्तु का आयात करते हैं, ने बाहर रखे जाने वाले ऐसे उत्पाद की तकनीकी विनिर्देशन नहीं दिए हैं। तकनीकी विनिर्देशनों के अभाव में उत्पाद को बाहर रखने के उनके दावे पर विचार करना संभव नहीं है।
 - iii. आयातकों और प्रयोक्ताओं से प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी यह सत्यापित करने में असमर्थ हैं कि जीआरएस प्रमाणन सहित संबद्ध वस्तु का उनके द्वारा आयात नहीं किया गया है। इस प्रकार यह भी सत्यापित नहीं हो सकता है कि क्या जीआरएस प्रमाणन सहित संबद्ध वस्तु के प्रयोग संबंधी उनका दावा सही है या नहीं और क्या घरेलू बाजार में जीआरएस प्रमाण सहित संबद्ध वस्तु की कोई मांग है।
 - iv. प्राधिकारी इस दावे के सत्यापन में भी असमर्थ हैं कि जीआरएस प्रमाणन सहित आयातित संबद्ध वस्तु का उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तु के उत्पादन में प्रयोग हुआ है।
 - v. पीयूसी के दायरे से किसी विशेष उत्पाद प्रकार को बाहर रखने पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह साबित होता है कि बाहर रखने की मांग किया गया उत्पादन तकनीकी रूप से अलग है, उसकी विशिष्ट अंतिम प्रयोग हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।
 - vi. यह भी नोट करना संगत है कि घरेलू उद्योग द्वारा नहीं विनिर्मित उत्पाद प्रकार जैसे टीपीयू आधारित पोलिकैप्रोइलेक्ट्रान को स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि टीपीयू के सभी अन्य प्रकार उनके द्वारा उत्पादित होते हैं।
 - vii. अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि जीआरएस ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।
13. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग उत्पादित संबद्ध वस्तु मोबाइल कवर के लिए उपयुक्त नहीं है कि प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं कि :
- i. यह दावा करने वाले आयातक और प्रयोक्ता कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु मोबाइल कवर के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अतः प्राधिकारी उनके द्वारा आयातित संबद्ध वस्तु और उनके दावे की सत्यता के ब्यौरे की जांच नहीं कर सकते हैं।
 - ii. आयातकों और प्रयोक्तों ने अपने इस दावे को सही सिद्ध करने के लिए कोई सूचना भी नहीं दी है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीपीयू ग्रेड मोबाइल कवर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है।
 - iii. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए भी सूचना दी है कि उनके द्वारा उत्पादित टीपीयू मोबाइल कवर के उत्पादन में प्रयुक्त हुआ है और मोबाइल कवर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग किया गया है। टीपीयू आदि के विशेष ग्रेड या तकनीकी विनिर्देशनों के ब्यौरे के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है जो मोबाइल कवर के उत्पादन के लिए अपेक्षित है और जिसे घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं किया जा सकता है।
 - iv. यह भी नोट करना संगत है कि घरेलू उद्योग द्वारा नहीं विनिर्मित उत्पाद प्रकार जैसे टीपीयू आधारित पोलिकैप्रोइलेक्ट्रान को स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि टीपीयू के सभी अन्य प्रकार उनके द्वारा उत्पादित होते हैं।
 - v. अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता हैं कि मोबाइल कवर के लिए प्रयुक्त संबद्ध वस्तु को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।
14. पीयूसी रेजिन को स्पष्ट रूप से बाहर रखने क्योंकि संबद्ध वस्तु और पीयूसी रेजिन को समान एचएस कोड 39095000 के अंतर्गत आयातित किया जाता है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क पीयूसी के विवरण के आधार पर लगाया जाता है और एचएस कोड केवल सांकेतिक होते हैं। वर्तमान मामले में पीयूसी

थर्मोपॉलीयुरेथेन(टीपीयू) है। पीयू रेजिन पीयूसी का हिस्सा नहीं है और इसलिए पीयू रेजिन को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।

15. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

16. रिकार्ड में सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है और ये भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

17. इसके अलावा, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पीयूसी वही है जैसा 30 अक्टूबर 2023 की सूचना द्वारा जांच शुरुआत अधिसूचना में नोट किया गया और निर्धारित किया गया। इसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

3. “विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन” (“टीपीयू”) है। टीपीयू एक पिघलने की प्रक्रिया योग्य थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें प्लास्टिक और रबड़ के अद्वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल, ग्रीज और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, छरों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिव्स द्वारा संशोधित रूप में हो सकता है, शामिल है।

4. टीपीयू एक अद्वितीय प्रकार का प्लास्टिक है जो रबड़ और प्लास्टिक के बीच की खाई को पाटता है। टीपीयू एक तरफ रबड़ और दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक सामग्री को चिन्हित करने वाली कई शक्तियों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए टीपीयू को मान्यता और संपीड़ित भार के तहत विकृत किया जा सकता है। लेकिन बाद में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसके अलावा, इसे गर्म होने पर खींचा जा सकता है, और जब गर्म भी किया जाता है, तो उन्हें बार-बार पिघलता और ढाला जा सकता है। टीपीयू की बहुमुखी प्रतिभा की कुंजी यह है कि इसकी कठोरता को अत्यधिक अनुकूलित किया जा सकता है। टीपीयू रबड़ की तरह नरम या कठोर प्लास्टिक की तरह कठोर हो सकता है। टीपीयू पकड़ प्रदान करने के लिए पारदर्शी या रंगीन या कठार या नरम / चिकना हो सकता है।

5. टीपीयू पॉलीओल्स (पॉलिएस्टर या पॉलीथर या पॉलीकेप्रोलैक्टोन आधारित या इनमें से एक संयोजन) डायसोसाइनेट्स और शार्ट-चेन डायोल्स की प्रतिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए इनमें एडिटिव्स जोड़े जा सकते हैं। सभी तत्वों के संयोजन से कठोरता और यांत्रिक गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। विचाराधीन उत्पाद आवेदक द्वारा विभिन्न ग्रेड में पेश किया जाता है। हालांकि ये अलग-अलग ग्रेड केवल गुणों के संदर्भ में भिन्न हैं। जिन्हें प्रक्रिया मापदंडों पर नियंत्रण और विशिष्ट एडिटिव्स के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी ग्रेड एक वस्तु के रूप में समान रहते हैं।

6. उत्पादन के दायरे में पॉलिएस्टर आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीथर आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकेप्रोलैक्टोन आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

7. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मोटर वाहन उपकरण पैनलों, कृषि (पशु आईडी टैग), कास्टर पहियों, बिजली उपकरण, खेल के सामान, चिकित्सा उपकरणों, ट्यूब व नली, बेल्ट और प्रोफाइल उद्योग, फुटवियर, इनफ्लेटेबल राफ्ट, एक्सट्रूडेड फिल्म, शीट और प्रोफाइल अनुप्रयोगों की विविधता, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाहरी मामलों, लैपटॉप के लिए की-बोर्ड रक्षक आदि सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। टीपीयू, प्रीमियम

मोटरसाइकिल के साथ-साथ यात्री कार बाजार के अंदरूनी हिस्से में रबड़ और पीवीसी (पोलीविनाइल क्लोराइड) का स्थान ले रहा है।

8. जांच अधिनियम उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के कस्टम टैरिफ शीर्षक 39095000 के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि, यह संभव है कि विषय वस्तुओं को अन्य शीर्षकों के तहत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. नियमावली का नियम 2(ख) यह प्रावधान करता है कि उत्पादक जो आयातक हैं या निर्यातक / आयातक से संबंधित है, घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखे जाएंगे।
- ख. घरेलू उद्योग कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड की एक संबंधित कंपनी है और यह कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में संबंधित कंपनी का नाम नहीं बताया है।
- ग. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग ने *** एमटी टीपीयू का आयात किया है जो पीओआई के दौरान कुल आयातों का 13 प्रतिशत हिस्सा है। घरेलू उद्योग ने पीओआई के बाद भी संबद्ध वस्तु का आयात जारी रखा है।
- घ. व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन प्रक्रिया नियम पुस्तिका के पैरा 4.9.20 (v) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों के मुद्दे के संबंध में जांच शुरूआत अधिसूचना में एक विशिष्ट संदर्भ देना होगा।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का क्षति अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारत में संबद्ध वस्तु का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है।
- ख. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. में और अन्य गैर संबद्ध देशों में अपनी संबंधित कंपनियों से थोड़ी मात्रा का आयात किया है। घरेलू उद्योग ने परीक्षण प्रयोजनों के लिए और कुछ तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए चीन जन. गण. से पीयूसी का आयात किया है। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात (i) चीन जन. गण. से आयात (ii) या अन्य देशों से आयात या (iii) भारतीय मांग के संबंध 0-0.15 प्रतिशत की रेंज में है।
- ग. प्राधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि क्या कोई घरेलू उत्पादक विदेशी उत्पादक / निर्यातक या पाटित वस्तु के आयातक से संबंधित है या जो स्वयं वस्तु का आयात करता है उससे संबंधित है और नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उत्पादक है। यह निर्धारण स्वतः नहीं है और सभी संगत कानूनी और आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए मामलावार आधार पर किया जाता है।
- घ. अपने विवेकाधिकार के प्रयोग के समय प्राधिकारी द्वारा विचारित तथ्यों और परिस्थितियों को पहले प्राधिकारी द्वारा की गई अनेक जांचों में नोट किया गया है। प्राधिकारी ने लगतार संमुक्ति की है कि केवल संबद्ध देश में उत्पादक / निर्यातक के साथ घरेलू उत्पादक का संबंध ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर नहीं करेगा।
- ड. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और अमेरिका, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडाएश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्राधिकारी ने संमुक्ति की थी कि किसी आयातक या निर्यातक के साथ घरेलू उत्पादक के संबंध में या ऐसी किसी उत्पादक द्वारा आयात का केवल तथ्य ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर

करने के लिए अपर्याप्त है। प्राधिकारी को अपना विवेक लागू करना आवश्यक है ताकि इस बात का वस्तुनिष्ठ निर्धारण हो कि क्या कोई घरेलू उत्पादक ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग माने जाने का पात्र या अपात्र समझा जाए। प्राधिकारी ने यह भी माना है कि वर्तमान एडी नियमावली निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर / के बाहर शामिल करने या हटाने के मामले में तथ्यों संबंधी निर्णय का विवेकाधिकार देना जारी रखता है।

- च. चीन जन. गण., ईयू, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और यूएसए, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच निरमा लिमिटेड और सौकेम का यूएस में एक संबंधित उत्पादक / निर्यातक अर्थात् सील्स वैली मिनरल्स था। प्राधिकारी ने इस पाटनरोधी जांच में यह संसुक्ति की थी कि घरेलू उत्पादक निरमा लिमिटेड और सौकेम के संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक द्वारा निर्यात भारत में कुल आयातों की तुलना में अधिक नहीं थे। संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक संबद्ध उत्पाद का एक प्रमुख निर्यातक नहीं था। घरेलू उत्पादकों निरमा लिमिटेड और सौकेम का मुख्य ध्यान प्राथमिक रूप से घरेलू उत्पाद पर था और न कि अपने संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक से आयातित वस्तु पर व्यापार पर। इस प्रकार निरमा लिमिटेड और सौकेम को नियमावली के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग माना गया था।
- छ. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 मई 2010 के अपने अंतिम जांच परिणाम में इन्हीं सिद्धांतों को बताया। इस मामले में घरेलू उद्योग अर्थात् ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में संबंधित कंपनियां बिरला जिन्गवे फिब्रिस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. और पीटी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया थीं, जो भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात कर रही थीं। प्राधिकारी ने यह बताया कि चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से भारत को संबंधित कंपनी द्वारा निर्यात कम और बिखरे हुए थे और भारत में अधिकांश पाटन चीन और इंडोनेशिया से अन्य उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा किया गया था। इसके अलावा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्य ध्यान उत्पादन पर था और वह अपनी संबंधित कंपनियों से आयातित वस्तु के व्यापार में शामिल नहीं थे। इस प्रकार ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग माना गया था।
- ज. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 30 सेंटीमीटर के अधिक के चौड़ाई के पीपी/एचडीपीई फैब्रिक्स की बुनाई के लिए 6 या उससे अधिक सेटल वाली सरकुलर बुनाई मशीनों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने यह अवलोकन भी किया कि केवल घरेलू उत्पादक और संबद्ध देश में उत्पादक / निर्यातक के बीच संबंध का तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र घरेलू उद्योग मानने के लिए अपर्याप्त है।
- झ. स्टेट आफ गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार, (2012) 286 ईएलटी 348 मामले में उच्च न्यायालय ने पाटित वस्तु के एक आयातक को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखने के प्रश्न की जांच की। न्यायालय ने यह संसुक्ति की थी कि कंपनी के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत उसके द्वारा आयातित है और वह भी अनौपचारिक रूप से और उस समय के दौरान जब उत्पादन में बाधा आई थी, उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। यह मात्रा कुछ तथ्यों से समान निर्यातक देश से कुल आयात की काफी कम हिस्सा पाई गई थी। इस प्रकार संबंधित घरेलू उद्योग को पात्र घरेलू उद्योग माना गया था और उसे नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर नहीं किया गया था।
- ञ. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने नोट किया कि डब्ल्यूटीओ करार या एडी नियमावली का यह इरादा नहीं है कि घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति में जहां किसी घरेलू उत्पादक द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का थोड़ा सा आयात हुआ है, वहां परिभाषित करते समय कोई सख्त फार्मूला अपनाया जाए और उस उत्पादक को गलत माना जाए और घरेलू उद्योग की स्थिति के लिए अपात्र माना जाए। कभी-कभी व्यापार और व्यवसाय के संचालन में घरेलू उद्योगों द्वारा शोध प्रयोजनों से या बाजार में तत्काल मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन के पूरक रूप में या किसी अन्य न्यायोचित कारण से वस्तुओं का आयात करना आवश्यक हो जाता है।

- ट. जब संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक द्वारा निर्यात और / या घरेलू उद्योग द्वारा आयात उचित कारणों से कम हों और संबद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में घरेलू उत्पादक का व्यवसाय संदिग्ध न हो तो इस आधार पर घरेलू उद्योग की परिभाषा से घरेलू उत्पादक को बाहर नहीं किया जा सकता कि घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अनुसार विदेशी उत्पादक / निर्यातक और / या संबंधित उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित है।
- ठ. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. और अन्य गैर संबद्ध देशों में अपनी संबंधित कंपनियों से थोड़ी मात्रा का आयात किया है। घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. से परीक्षण प्रयोजनों के लिए और कुछ तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए चीन जन. गण. से पीयूसी का आयात किया है। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात .*** एमटी के हैं जो (i) चीन जन. गण. से आयात (ii) सभी देशों से आयात और (iii) भारतीय मांग के संबंध 0-0.15 प्रतिशत की रेंज में है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा आयात मामूली हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उसकी संबंधित कंपनी ने भारत में किसी अन्य कंपनी को आपूर्ति नहीं की है।
- ड. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है, परंतु अपने दावे को सही बताने के लिए समर्थक ब्यौरे या आयात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह अस्पष्ट है कि झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने ऐसे गोपनीय निर्यातक या आयातक विशिष्ट आंकड़े कैसे प्राप्त किए। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड का दावा वास्तव में गलत है और यह अनुरोध है कि प्राधिकारी डीजी सिस्टम से आधिकारिक आयात आंकड़ों के प्रयोग से इस दावे को सत्यापित करे।
- ढ. घरेलू उद्योग ने कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड सहित संबद्ध देश और गैर संबद्ध देशों दोनों में अपनी संबंधित कंपनी से आयात के बारे में जानकारी दी है।
- ण. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कोवेस्ट्रो (इंडिया) लिमिटेड के किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. में संबंधित पक्षकार ने कोई प्रबंधकीय पद नहीं है। इसके अलावा, चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक आवेदक कंपनी में कोई प्रबंधकीय पद धारण नहीं करते हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

“(ख) ‘घरेलू उद्योग’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ‘घरेलू उद्योग’ शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

21. वर्तमान मामले में यह आवेदन कोवेस्ट्रो (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भारत में किसी अन्य घरेलू उत्पादक की मौजूदगी का दावा नहीं किया है। इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
22. यह नोट किया गया है कि आवेदक का संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का एक संबंधित उत्पादक है और वह भारत में पीयूसी किसी आयातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने आवेदन में स्वीकृति के अनुसार पीओआई के दौरान संबद्ध देश में अपने संबंधित उत्पादक से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने अपनी जांच शुरूआत अधिसूचना में निम्नानुसार नोट किया है।

"13. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है आवेदक ने दावा किया है कि यह भारत में विषय वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है जो भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है और इसलिए वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए आवश्यक आधार है।

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार इसने चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक से विषयवस्तु को आयात किया है। इस तरह के आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी उचित जांच के बाद नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (ख) के प्रावधानों के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में मापदंडों को पूरा करता है।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी विदेशी उत्पादक / निर्यातक या आयातक के साथ घरेलू उत्पादक का संबंध या ऐसे घरेलू उत्पादक द्वारा आयात घरेलू उद्योग के दायरे से उस घरेलू उत्पादक को स्वतः बाहर नहीं कर देता है। नियम 2(ख) के अंतर्गत हो सकता है शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्राधिकारी के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि क्या संबद्ध देश में उत्पादक / निर्यातक से संबंधित या भारत में आयातक से संबंधित घरेलू उत्पादक या जिसने स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात किया है, घरेलू उद्योग माने जाने का पात्र है अथवा नहीं। प्राधिकारी के लिए सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अपने विवेक का प्रयोग अपेक्षित है ताकि इस बात का वस्तुनिष्ठ निर्धारण हो कि क्या संबंधित घरेलू उत्पादक को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का पात्र या अपात्र माना जाए।
24. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और हांगकांग में उत्पादक / निर्यातक के साथ आवेदक के संबंध के बारे में और चीन जन. गण. और हांगकांग में उसकी संबंधित कंपनियों को किए गए आयात के बारे में कुछ हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है।
25. आयातों की जांच दर्शाती है कि आवेदक ने कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड से *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है जो पीओआई के दौरान चीन जन. गण. में उसके संबंधित उत्पादक / निर्यातक द्वारा उत्पादित टीपीयू का निर्यात करने वाला हांगकांग में संबंधित व्यापारी है तथा जो भारत में कुल मांग का 0.1 प्रतिशत और कुल आयात का 0-0.1 प्रतिशत है। इस प्रकार आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु के आयात इतने अधिक नहीं है कि वह आवेदक को घरेलू उद्योग मानने का अपात्र बना दें।
26. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे में आयातित उत्पाद का विवरण नहीं है और इसलिए वह घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के आयात के दावे को सही सिद्ध नहीं करता है। इसके अलावा, डीजी सिस्टम के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री और अन्य गैर पीयूसी का चीन जन. गण. और हांगकांग में संबंधित कंपनी से आयात किया है।
27. प्राधिकारी चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के साथ आवेदक के संबंध और चीन जन. गण. अपनी संबंधित कंपनियों से आवेदक द्वारा आयात के बारे में निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों को नोट करते हैं:
- क. किसी भी विरोधी पक्षकार ने आयातों के तथ्य और विदेशी उत्पादक / निर्यातक से संबंध को छोड़कर कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं बताया है।
- ख. चीन जन. गण. में कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की संबंधित कंपनियों ने कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को भारत में पीयूसी का केवल कम मात्रा में निर्यात किया है और भारत में किसी और कंपनी को निर्यात नहीं किया।
- ग. पीओआई के दौरान कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की संबंधित कंपनियों द्वारा निर्यात चीन जन. गण. से भारत में कुल आयातों की तुलना में बहुत कम है। डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की चीन जन. गण. में संबंधित कंपनियों द्वारा पीओआई के दौरान किए गए निर्यात मुख्यतः गैर पीयूसी और कच्ची सामग्रियां हैं।
- घ. पीओआई के दौरान भारत में चीन जन. गण. में संबंधित कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे भारत में घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

- ड. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अब भी भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित रहा है। चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के साथ कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध ने भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादक के रूप में उसके व्यवहार और व्यवसाय को प्रभावित नहीं किया है।
- च. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख प्रबंध कार्मिक भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. में संबंधित पक्षकार में कोई प्रबंधक पद धारण नहीं करते हैं और चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक के प्रमुख प्रबंध कार्मिक भी आवेदक कंपनी में कोई प्रबंधक पद धारण नहीं करते हैं।

28. अतः रिकार्ड पर दी गई सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक / याचिकाकर्ता कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. बीएसएफ पाँलीयुरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (बीपीएस):

- i. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।
- ii. कंपनी ने भारत को घरेलू और निर्यात बिक्रियों के लिए अपने विपणन / वितरण चैनल के ब्यौरों का प्रकटन नहीं किया है (एक्जिविट बी3)।
- iii. कंपनी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए दावा किए गए समायोजनों के ब्यौरे नहीं बताए हैं।
- iv. कंपनी ने एक्जिविट जी1 में विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकटन नहीं किया है।
- v. कंपनी ने कच्ची सामग्री के नाम नहीं बताए हैं।
- ख. बीएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बीएचकेएल):
- vi. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।
- vii. कंपनी ने भारत को घरेलू और निर्यात बिक्रियों के लिए अपने विपणन / वितरण चैनल के ब्यौरों का प्रकटन नहीं किया है।
- ग. बीएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल):
- viii. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।
- ix. कंपनी ने एक्जिविट जी-1 में विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकटन नहीं किया है।
- x. कंपनी ने कच्ची सामग्री के नाम नहीं बताए हैं।
- घ. बीएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (बीआईटीसी):
- xi. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।
- ड. बीएसएफ इंडिया लिमिटेड (बीआईएल):

- xii. उचित सूचीकरण के बिना परिशिष्ट 13 के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- च. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड (हुआफोन):
- xiii. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है। (एक्जिविट ए-2)।
- xiv. कंपनी ने एक्जिविट जी-1 में विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकटन नहीं किया है।
- xv. कंपनी ने परिशिष्ट 2 में कच्ची सामग्री के नाम नहीं बताए हैं।
31. प्राधिकारी को बीएएसएफ ग्रुप और जेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड को अत्यधिक गोपनीयता के दावों और उनके प्रश्नावली के उत्तर में दी गई अधूरी सूचना के कारण असहयोगी पक्षकार मानना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को विभिन्न पक्षकारों के बीच संचार हेतु ई-मेल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध रखा।
33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

34. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई थी और तदनुसार, ध्यान दिया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की दावों के पर्याप्तता के संबंध में विधिवत रूप से जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय संबंधित सेवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारत सरकार दिनांक 6 मार्च 2024 की अधिसूचना द्वारा "पॉलीयूरेथेन्स" संबंधी अनिवार्य मानक प्रमाणन अपेक्षा को कार्यान्वित करने की अपेक्षा में है। यह 19 सितंबर, 2024 से लागू होगा। इससे एक गैर टैरिफ बाधा सृजित होगी और परिणामस्वरूप भारत में टीपीयू के आयात प्रभावित होंगे।

- ख. वह आईएस 17397 (भाग 1): 2020/आईएसओ 16365-1:2014 संबद्ध वस्तु पर लागू है जिसके द्वारा संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालन आकलन स्कीमों के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यह वास्तव में संबद्ध वस्तु की कीमतें बढ़ा देगा और इस प्रकार मांग – आपूर्ति में अंतर आ जाएगा, क्योंकि वह देशों के बीच व्यापार के मुख्य प्रवाह को प्रभावित करेगा।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और पाटनरोधी शुल्क दो अलग-अलग साधन हैं और इनके उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। यदि कोई उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का पालन करता है और पाटित कीमतों पर भारत में आयात होता है तो ऐसे उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सकती है। यदि कोई उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुपालन में नहीं है तो ऐसे उत्पाद को उस उत्पाद को अपाटित कीमतों पर भारत में निर्यात किए जाने पर भी भारत में आयात नहीं किया जा सकता है।
- ख. प्राधिकारी ने चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अलाय या गैर अलाय इस्पात के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक अप्रैल 2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम में यह अवलोकन किया था कि यदि कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मौजूद है तो भी उसका यह निष्कर्ष यह नहीं है कि कोई पाटन या घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है।
- ग. पीयूसी संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश आज की तारीख में लागू है। 13 सितंबर, 2021 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी होने के बाद उसे 12 मार्च 2022 को कार्यान्वित करना निर्धारित था। तथापि, कार्यान्वयन के समय को उसके कार्यान्वयन की निर्धारित तारीख के निकट आने पर कई बार बढ़ाया गया है।

आदेश सं.	अधिसूचना की तारीख	लागू होने की विहित तारीख
एस.ओ. 3931(ई) प्रमुख आदेश	13 सितंबर 2021	यह 180 दिनों के बाद अर्थात् 12 मार्च 2022 को लागू होगा
एस.ओ. 1277(ई)	23 मार्च 2022	यह 19 सितंबर 2022 को लागू होगा
एस.ओ. 4141(ई)	2 सितंबर 2022	यह 19 मार्च 2023 को लागू होगा
एस.ओ. 1238(ई)	15 मार्च 2023	यह 19 मार्च 2024 को लागू होगा
एस.ओ. 1112(ई)	6 मार्च 2024	यह 19 सितंबर 2024 को लागू होगा

- घ. 6 मार्च 2024 की हाल की अधिसूचना के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 19 सितंबर, 2024 तक कर दिया गया है। इस प्रकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की समय सीमा को बार बार बढ़ाया गया है और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को 19 सितंबर, 2024 को कार्यान्वित किया जाएगा।
- ड. इस प्रकार से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की मौजूदगी अपरिणामी है और वर्तमान जांच में यह निर्णय लेते समय की क्या प्राधिकारी द्वारा भारत में पीयूसी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए। प्राधिकारी के लिए कानूनी रूप से असंगत है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और नियमावली अलग-अलग प्रयोजनों के लिए दो अलग-अलग दस्तावेज हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयातित उत्पाद विहित मानक और विनिर्देशन का हो। नियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है कि भारत में आयातित उत्पाद अपाटित कीमतों पर हो और उससे घरेलू उद्योग को क्षति न हो। यदि पीयूसी के आयात के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होता है तो भी वह घरेलू उद्योग के भारत में पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के रूप में संरक्षण लेने के अधिकार को किसी भी तरह कम नहीं करेगा।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1 सामान्य मूल्य**

38. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. सामान्य मूल्य के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन का एक्सेसन प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है। झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड, चीन ने चीन जन. गण. द्वारा ईयू के द्वारा शुरू किए गए फास्टनर्स में अपीलिय निकाय की रिपोर्ट में प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) और 15(ख) के बीच संबंध पर भरोसा किया है, जो चीन जन. गण. को प्रोटोकॉल अनुच्छेद 15 के समाप्त होने पर स्वतः रूप से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए मजबूत औचित्य देता है।

ख. 11 दिसंबर, 2016 के बाद पाटनरोधी विनियम में चीन के निर्यातक उत्पादकों के लिए उसकी घरेलू कीमत और लागत से इतर किसी आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है।

ग. भारत के पास गैर बाजार अर्थव्यवस्था की पद्धति के प्रयोग से चीन जन. गण. से उत्पादों के लिए पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई गेट के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार की अपेक्षाओं से असंगत होगी।

घ. प्राधिकारी इस बात पर विचार किए बिना क्या चीन जन. गण. को संधि के पक्षकारों, डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल की धारा 15 और चीन जन. गण. द्वारा शुरू की गई इसी फास्टनर्स संबंधी अपीलिय निकाय की रिपोर्ट के सिद्धांत के कारण बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार दिया जाए, सामान्य मूल्य की गणना के लिए प्रतिनिधि देश की पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

ड. चीन जन. गण. को डब्ल्यूटीओ चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसी - फास्टनर्स मामले में डब्ल्यूटीओ निकाय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। यूएस और ईयू ने चीन जन. गण. के साथ अपने संबंधित द्विपक्षी करार में भी डब्ल्यूटीओ में चीन के प्रवेश के 15 वर्षों बाद गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की समाप्ति के बारे में नोट किया था।

छ.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. उत्पादकों / निर्यातकों के मामलों में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) और (3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना गया है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर बाजार दशाओं में काम कर रहे हैं। अतः चीन जन. गण. ने संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।
- ख. प्रोटोकॉल के अनुबंध 15(घ), 15(क)(ii) के प्रावधान दिसंबर 2016 में अर्थात् चीन जन. गण. के डब्ल्यूटीओ में प्रवेश के 15 साल के बाद समाप्त हो गए हैं। तथापि, अनुच्छेद 15(क)(i), जो चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था मानने का प्रावधान करता है। अब भी लागू है। अतः एक वैध मान्यता मौजूद है कि पाटनरोधी जांच के लिए चीन जन. गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।
- ग. प्राधिकारी नोट कर सकते हैं किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने लागू प्रश्नावली का उत्तर देकर बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है और इस संदर्भ में सामान्य मूल्य का निर्धारण एडी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत करना काफी अनिवार्य है।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी और उन्हें प्राधिकारी विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी। निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का विहित उत्तर देकर जांच में सहयोग दिया है।
- बीएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड
 - बीएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
 - बीएसएफ हांगकांग लिमिटेड
 - बीएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड
 - झेजियांग हुआफॉन टीपीयू कंपनी लिमिटेड
 - मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

छ.4.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

चीनी के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार

42. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:
- "जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :
- जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
 - यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
 - आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।
- (ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सन्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

43. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

44. तदनुसार, चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

45. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 निम्नानुसार है:

"7. गैरउचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के , बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में- , लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश , सामान्य , आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित श के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। , संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित होंसीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब -समय , के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयवधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके

कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

46. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत या जहां ऐसा संभव न हो समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, सहित किसी तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।
47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की घरेलू कीमत, परिकलित मूल्य या निर्यात कीमत के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और रिकार्ड में साक्ष्य के आधार पर किसी उचित देश का चयन करना अपेक्षित है चूंकि न तो आवेदक और न ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना दी है। इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
48. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 की दी गई अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकार्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने 'किसी अन्य तर्कसंगत आधार' संबंधी पद्धति पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
49. अतः प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित कर उसके आधार पर परिकलित किया है। चीन के

उत्पादकों / निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5 निर्यात मूल्य

छ.6 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यात कीमत के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यदि प्राधिकारी संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं तो प्राधिकारी को सहयोगी निर्यातकों / उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग दर निर्धारित करनी चाहिए।

छ.7 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. बीएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (बीएपीएस) ने कंपनी की संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

ख. बीएपीएस ने कच्ची सामग्रियों / सुविधाओं के लिए सतत पक्षकारों से खरीद कीमत प्रदान नहीं की है।

ग. बीएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल) ने संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

घ. बीएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बीएचकेएल) ने कंपनी की संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

ङ. बीएचकेएल एक व्यापारी होने के नाते प्रश्नावली के उत्तर का परिशिष्ट 5 देने में विफल रहा है।

च. बीएचकेएल ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए दावा किए समायोजनों के ब्यौरे हटा दिए हैं।

छ. बीएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कं, (बीआईटीसी) लिमिटेड ने मालिक / मुख्य शेयरधारक सूची और अपनी संबद्धताओं संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

ज. बीएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कं, लिमिटेड ने कंपनी की संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

झ. बीएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कं, लिमिटेड एक व्यापारी होने के नाते प्रश्नावली के उत्तर का परिशिष्ट 5 देने में विफल रहा है।

ञ. बीएसएफ इंडिया लिमिटेड (बीआईएल) ने भारत में बिक्री के लिए वितरण चैनलों का अधूरा प्रकटन दिया है।

ट. बीआईएल ने व्यापार सूचना 06/2021 प्रपत्र का अनुपालन नहीं किया है।

ठ. बीआईएल डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत और कीमत पर शुल्क के प्रभाव का प्रकटन करने में विफल रहा है।

ड. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने कंपनी की संबद्धताओं संबंधी अधूरी सूचना दी है जिसमें शामिल है:

- मूल कंपनियों, अधीनस्थ और संबंधित कंपनियों तथा समकक्ष सूचना के ब्यौरे।
- प्रत्येक संबंधित कंपनी के कार्यकलाप।
- पीयूसी या कच्ची सामग्री / सुविधाओं की आपूर्ति में शामिल संबंधित कंपनियों के ब्यौरे।

- द. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने पीयूसी के उत्पादन में शामिल संयंत्रों की संख्या के संबंध में विरोधाभासी जानकारी दी है। हुआफोन ने खंड जी के प्रश्न एक में एक संयंत्र का दावा किया है परंतु परिशिष्ट 7 में दो संयंत्र की मौजूदगी दर्शायी गई है।
- ण. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने बताया कि सभी सामग्री खरीदी गई है परंतु परिशिष्ट 7 में आबद्ध इनपुट के प्रयोग को दर्शाया गया है।
- त. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं के लिए स्वतंत्र पक्षकारों से खरीद कीमत प्रदान की है और अंतरण कीमत को उचित ठहराने के लिए साक्ष्य का अभाव है।

छ.8 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दिया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उत्पादक / निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध अगोपनीय अंश में संबंधित पक्षकार की संबद्धता के गैर प्रकटन और चीन के उत्पादकों / निर्यातकों की उत्पादन लागत से संबंधित हैं। प्राधिकारी ने इन दावों की जांच की है और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना की तर्ज पर चीन के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय अंश को नोट करते हैं। भागीदार उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्तरों की निम्नानुसार विस्तार से आगे जांच की गई है।

i. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

53. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड ("मिराकल") द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि मिराकल ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि मिराकल ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। मिराकल ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय तथा ऋण लागत के समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उन पर विचार किया है। मिराकल के लिए यथा निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ii. बीएसएफ ग्रुप- बीएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक), बीएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक), बीएसएफ हांगकांग लिमिटेड (संबंधित निर्यातक) और बीएसएफ इंडिया लिमिटेड (संबंधित आयातक)

54. बीएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (बीएपीएस) ने अपने संबंधित निर्यातक बीएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बीएचकेएल) बीएसएफ को पीओआई के दौरान *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उसने अपने संबंधित भारतीय उपभोक्ता इंडिया लिमिटेड (बीआईएल) को इसका निर्यात किया है। संबंधित भारतीय उपभोक्ता ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ता को इसकी बिक्री की है। सभी तीन कंपनियां भारत को निर्यात बिक्री श्रृंखला अर्थात् बीएपीएस, बीएचकेएल और बीआईएल में शामिल हैं और उन्होंने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दिया है और जांच में सहयोग किया है। निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

55. यह नोट किया गया है कि बीएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल) जो बीएपीएस का एक संबंधित उत्पादक है, ने पीओआई की समाप्ति के बाद संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है।

iii. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड

56. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ("हुआफोन") द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुआफोन ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि हुआफोन ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। हुआफोन ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उन पर विचार किया है। हुआफोन के लिए यथा निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

57. चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के लिए जांचे गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और यह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

पाटन मार्जिन

58. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/ निर्यातक का नाम	सामान्य मूल्य (रु/केजी)	निवल निर्यात मूल्य (रु/केजी)	पाटन मार्जिन प्रति यूनिट (रु/केजी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (%) रेंज)
मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60%
अन्य सभी	***	***	***	***	80-90%

प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड को छोड़कर चीन जन. गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन मौजूद है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

59. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आयात आंकड़े गलत है। अतः मात्रात्मक प्रभाव और कीमत प्रभाव की जांच से सही तस्वीर का पता नहीं लग सकता है।
- ख. चीन जन. गण. से आयातों के कारण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। चीन जन. गण. से आयात मांग में वृद्धि के तालमेल चले हैं।
- ग. घरेलू उद्योग की क्षमता *** एमटी है जबकि भारत में टीपीयू की मांग लगभग 20,000 एमटी है। घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक होने के कारण भारतीय मांग के केवल 25-30 प्रतिशत को पूरा कर सकता है। आयात केवल भारत में संबद्ध वस्तु की मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए आए हैं और घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।
- घ. कीमत कटौती 35-45 प्रतिशत है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग पहुंच मूल्य से लगभग 35-45 प्रतिशत अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेच रहा है। इसी प्रकार क्षति मार्जिन 40-50 प्रतिशत है जो दर्शाता है कि क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) लगभग समान हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग पहले ही अपनी वस्तु को क्षतिरहित कीमत पर बेच रहा है।
- ड. वर्ष 2020-21 के दौरान जब कीमत कटौती 45-55 प्रतिशत के रूप में अधिकतम थी। उस समय घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अधिकतम थी जो कीमत कटौती के उच्च स्तरों और लाभप्रदता के बीच कोई सह संबंध नहीं दर्शाता है।

- च. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि और जांच अवधि में अपरिवर्तित रही है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्रमशः 7 प्रतिशत की कमी आई है।
- छ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में पीओआई के दौरान आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में 100 से 85 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान निर्यात बिक्रियों में 229 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी पसंद से न कि अवसर मिलने पर घरेलू बिक्रियों के बजाय निर्यातों पर फोकस कर रहा है।
- ज. मालसूची के रूझान गिरावट दर्शा रहे हैं जो स्पष्ट रूप से बताता है कि घरेलू उद्योग अपने संपूर्ण उत्पादन को बेचने में सक्षम था।
- झ. पीबीडीआईपी और नकद लाभ में पीओआई के दौरान क्रमशः 10 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण चीन के उत्पादक अप्रचालित या कम प्रचालित थे और इसलिए वे वाणिज्यिक मात्राओं में वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सके थे जैसी सामान्य परिस्थितियों में आपूर्ति होती है। इससे उद्योग में प्रतिस्पर्धा का स्तर प्रभावित हुआ। अतः क्षति की जांच करते समय प्राधिकारी द्वारा इस स्थिति पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- ञ. आधार वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 100 से जांच अवधि के दौरान 101 की मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, वेतन और मजदूरी में आधार वर्ष 2019-20 के दौरान 100 से जांच अवधि के दौरान 61 की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जानबूझकर क्षति दिखाने के लिए आंकड़ों से छेड़छाड़ की है।
- ट. प्रति दिन उत्पादकता और 2019-20 से जांच अवधि (पीओआई) में उत्पादन मात्रा दोनों में कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी अलग-अलग उत्पादकता में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बावजूद 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि समग्र उत्पादन में प्रचालनात्मक अक्षमताओं या अन्य चुनौतियों के कारण संभावित रूप से कमी आई है, ऐसा कर्मचारी निष्पादन के कारण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति की अवधि में वेतन और मजदूरी में गिरावट चिंताजनक है और यह संगठन के भीतर मजदूरी नीतियों या वित्तीय बाधाओं संबंधी संभावित समस्याएं दर्शाता है।
- ठ. घरेलू उद्योग ने कर्मचारियों उत्पादकता में स्थिरता और कर्मचारी संख्या में पूरी वृद्धि के बावजूद उत्पादन मात्रा और क्षमता उपयोग दोनों में 7 प्रतिशत गिरावट का सामना किया है। मालसूची के स्तरों में कारगर मांग प्रबंधन को दर्शाते हुए गिरावट देखी गई है। तथापि, महंगाई की अवधि में वेतन और मजदूरी में 39 प्रतिशत की नाटकीय गिरावट आंकड़ों में संभावित छेड़छाड़ को दर्शाती है। समग्र रूप से बताई गई वित्तीय क्षति संभवतः घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति और निष्पादन को सही ढंग से नहीं दर्शाती हैं।
- महानिदेशक को पाटन का कोई आरोप नहीं होने के समय उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई को तर्कसंगत लाभ मार्जिन के रूप में अपनाना चाहिए और न कि 22 प्रतिशत के आरओसीई को।
- ड. प्राधिकारी को अन्य ज्ञात कारकों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समुचित आकलन करना चाहिए और उन्हें ऐसे अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों से पाटित आयतों के क्षतिकारी प्रभावों को अलग और पृथक करना चाहिए। ऐसे कारणों में आंतरिक समस्याएं, वैश्विक मंदी की बाजार दशाएं, कच्ची सामग्री की कीमत उतार-चढ़ाव, कोविड-19 महामारी के प्रभाव, रूस - यूक्रेन युद्ध, संयंत्र का बंद होना आदि शामिल है।
- ढ. घरेलू उद्योग को उसकी उच्च मूल्य ह्रास और वित्त लागत के कारण क्षति हुई है।
- ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**
60. घरेलू उद्योग ने क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना के अनुसार उसके पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के साथ याचिका दायर की है। प्राधिकारी ने संबद्ध जांच की शुरुआत के समय डीजीसीआई&एस से सौदावार आयात आंकड़ों पर पहले ही विचार किया है।

- ख. प्राधिकारी मात्रा और कीमत प्रभाव के लिए डीजी सिस्टम और डीजीसीआई&एस से आयात आंकड़ों पर विचार कर सकते हैं। अपेक्षित सूचना प्राधिकारी को पहले ही दायर की गई है जिसमें चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण मात्रा और कीमत प्रभाव दर्शाए गए हैं।
- ग. मांग – आपूर्ति में अंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता निर्धारित करने हेतु संगत नहीं होता है। डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने अपीलकर्ता के इस दलील को अस्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ईपीडीएम का एकमात्र विनिर्माता था और वह घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। अपीलकर्ता ने यह भी दलील थी कि आयात केवल मांग – आपूर्ति के अंतर को भर रहे हैं। सीस्टेट ने मांग – आपूर्ति के अंतर के संबंध में यह संसुक्ति की कि यदि निर्यातक भारतीय बाजार में जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु की आपूर्ति करना चाहता है तो ऐसा सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर आवश्यकता का निर्यात करके किया जा सकता है, परंतु बाजार को कब्जाने के लिए पाटित मूल्य पर नहीं।
- घ. प्राधिकारी ने निरंतर यह माना है कि मांग – आपूर्ति का अंतर पाटन को सही नहीं ठहराता है और यदि मांग – आपूर्ति में अंतर भी होता है तो यह आवश्यक है कि संबद्ध वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध हो।
- ड. प्राधिकारी ने निम्नलिखित अंतिम जांच परिणाम में भी यह संसुक्ति की है कि मांग – आपूर्ति का अंतर पाटित आयातों के लिए वैध औचित्य नहीं हो सकता है:
- i. यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13 फरवरी, 2003
 - ii. चीन जन. गण. से एरोमेटिक या इटैरोसैकलिक यौगिकों के एसिटोएसीटाइल डेरीवेटिव जिन्हें एरीलाइट के रूप में भी जाना जाता है, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम 19 अगस्त 2021
 - iii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेल्फ अधेसिव विनाइल (एसएवी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम 28 दिसंबर, 2023
 - iv. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम 8 जून, 2021
 - v. यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टायरीन बुटाडनी रबड़ के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच – अंतिम जांच परिणाम 29 जुलाई, 2022
- च. एनएसआर के साथ एनआईपी की तुलना के लिए नियमावली के अंतर्गत कोई कानूनी अधिदेश नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 फरवरी 2012 के अपने अंतिम जांच परिणाम में यह संसुक्ति की थी कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को कीमत प्रभाव निर्धारित करने के लिए निवल बिक्री प्राप्ति के साथ क्षतिरहित कीमत की तुलना करना चाहिए।
- छ. सीस्टेट ने ऑल इंडिया ग्लास मैनुफैक्चरर्स फेडरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में दिनांक 6 सितंबर, 2016 के अपने आदेश में यह संसुक्ति की थी कि प्राधिकारी के लिए कीमत प्रभाव के निर्धारण हेतु एनएसआर से एनआईपी की तुलना को अधिदेशित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।
- ज. यदि एनएसआर, एनआईपी से अधिक की होती है तो यह बात इस निष्कर्ष में संगत नहीं है कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल कीमत प्रभाव या वास्तविक क्षति नहीं उठानी पड़ रही है।
- झ. याचिका में और मौखिक सुनवाई के पश्चात प्रस्तुत लिखित अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए सूचना प्रस्तुत की है कि उसे वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य को नोट किया है।

- ज. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय प्रदान करना प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया है। यह मुद्रा सीस्टेड के विभिन्न निर्णयों द्वारा निपटाया गया है। मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53541/2015-सीयू[डीबी] दिनांक 27 नवंबर 2015 में सीस्टेड ने मानक प्रक्रिया के रूप में नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय दर की अनुमति दी थी। सीस्टेड ने एक्जिमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53462/2016-सीयू[डीबी] दिनांक 12 सितंबर 2016 में इसी सिद्धांत की पुनः पुष्टि की थी।
- ट. हुआफोन ने ऐसा कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया है जिसने चीन जन. गण. से पाटित आयातों को छोड़कर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो। आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी पर संदेह करने के लिए केवल सामान्य संभावनाओं और भू-राजनैतिक घटनाओं की सूची देना पर्याप्त नहीं है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

61. अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " पाटित आयातों की मात्रा , समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "... ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।
62. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
63. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है। क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत समझा गया कि जांच और समाधान नीचे किया गया है।
64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड गिरावट दर्शाएं। कुछ मापदंड गिरावट दर्शा सकते हैं जब कि कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।


ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग का आकलन

65. प्राधिकारी ने भारत में मांग या उत्पाद की स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	68	85
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	193	273
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,356	2,566	2,738	1,265

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	189	202	93
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
कुल मांग	सूचीबद्ध	100	141	143	173



66. उक्त तालिका से प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित बिंदु देखे गए हैं:

- क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में लगातार वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु की मांग में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 73 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयात में 173 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गैर संबद्ध देशों से आयात में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 15 प्रतिशत की कमी आई है।
- संबद्ध देश से आयातों ने मांग में वृद्धि पर कब्जा कर लिया है।

ख) संबद्ध देश की आयात मात्रा और हिस्सा

67. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा और अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच प्राधिकारी ने निम्नानुसार की है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	चीन जन. गण. से आयात	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
		सूचीबद्ध	100	154	193	273
2.	कुल आयात	एमटी	6,412	10,361	12,511	15,045
		सूचीबद्ध	100	162	195	235
3.	भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	102	89	93
4.	मांग	एमटी	***	***	***	***

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		सूचीबद्ध	100	141	143	173
5.	निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
क	कुल आयात	%	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	95	99	116
ख	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	151	218	292
ग	मांग	%	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	135	158

68. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- क. संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से 2019-20 में 5,056 एमटी से 13,780 एमटी की वृद्धि हुई है। सूचीबद्ध रूप से संबद्ध देश के आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 173 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ख. भारतीय उत्पादन स्थिर रहा है और पीओआई में उसमें थोड़ी कमी आई है जबकि 2019-20 की तुलना में पीओआई में भारतीय मांग में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ग. कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से आयात 2019-20 की तुलना में पीओआई में 16 प्रतिशत बढ़े हैं।
- घ. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश के आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 192 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ड. मांग के संबंध में संबद्ध देश से आयात में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती है।
70. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत कटौती और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना द्वारा कीमत कटौती ज्ञात की गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पहुंच कीमत	रु/केजी	189	181	279	262
	सूचीबद्ध	100	96	147	138
निवल बिक्री प्राप्त	रु/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	116	150	151
कीमत कटौती	रु/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	202	163	207
कीमत कटौती	%	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	रेंज	20-30%	45-55%	35-45%	45-55%

72. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है और इस प्रकार घरेलू कीमतों में कटौती हुई है।

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

73. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों में काफी अधिक न्यूनीकरण करना है या घरेलू कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बिक्रियों की लागत	रु/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	148	154
निवल बिक्री प्राप्त	रु/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	116	150	151
पहुंच कीमत	रु/केजी	189	181	279	262
	सूचीबद्ध	100	96	147	138

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। इससे घरेलू उद्योग पर अत्यधिक कीमत ह्रासकारी / न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

75. बिक्री लागत में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदु से पीओआई में 154 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है और निवल बिक्री प्राप्ति में 2019-20 में 100 सूचकांक से पीओआई में 151 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है जबकि पहुंच कीमत में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 38 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि चीन जन. गण. से आयात कीमतें घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत में वृद्धि को पूर्णतः वसूलने से रोक रहे हैं।

ज.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

76. नियमावली के अनुबंध-II में यह निर्धारित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

77. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पाद (पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	89	93
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	89	93
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	68	85

78. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं कि:

- क. उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 93 सूचकांक बिंदुओं की कमी आई है। जबकि इसी अवधि में मांग में भारी वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू बिक्रियों में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 85 सूचकांक बिंदुओं की कमी आई है जबकि इसी अवधि में मांग में भारी वृद्धि हुई है।
- ग. पीओआई के दौरान *** का क्षमता उपयोग इस तथ्य पर विचार करते हुए कम है कि भारत में मांग में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने 2019-20 और 2020-21 में उच्चतर क्षमता उपयोग हासिल किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वह चीन जन. गण. से पाटित आयातों की मौजूदगी नहीं होने पर 100 प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त कर सकता है।

ख) बाजार हिस्सा

79. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्से के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
	सूचीबद्ध	100	154	193	273
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,356	2,566	2,738	1,265
	सूचीबद्ध	100	189	202	93
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	68	85
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	141	143	173
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	79	48	49
चीन जन. गण. से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	135	158

80. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 85 बिंदुओं की कमी आई है।
- ख. संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 158 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

- ग. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 49 सूचकांक बिंदुओं की भारी गिरावट आई है।
- घ. 2019-20 की तुलना में पीओआई में पीयूसी की मांग में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 51 प्रतिशत की कमी हुई है और संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ड. क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में समस्त वृद्धि पर चीन जन. गण. से आयातों ने कब्जा कर लिया है।
- च. अन्य देशों से आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 7 प्रतिशत की कमी आई है और इस हिस्से पर भी चीन जन. गण. से आयातों ने कब्जा कर लिया है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेशों पर आय

81. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर पूर्व लाभ	रु/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	248	193	102
	रु लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	275	132	86
ब्याज और कर से पूर्व लाभ	रु/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	236	180	107
	रु लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	261	123	90
नकद लाभ	रु/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	189	175	135
	रु लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	210	120	114
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	145	95	79
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	68	80

82. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय दोनों में 2020-21 में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग को भारत सरकार से बड़ा ऑर्डर मिला था और उसके बाद उसमें 2019-20 तथा 2020-21 की तुलना में निरंतर गिरावट आई है।
- ख. कर पूर्व लाभ 2019-20 की तुलना में पीओआई में 14 प्रतिशत कट गए हैं।
- ग. ब्याज और कर पूर्व लाभ में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- घ. नियोजित पूंजी पर आय में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

घ) मालसूची

83. क्षति अवधि में मालसूची संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
औसत	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	68	80

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची में 2021-22 तक गिरावट आई है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें पुनः वृद्धि हुई है।

ड.) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

85. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	102	89	93
2	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	101	89	92
3	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	101	100	101

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है।

च) वृद्धि

87. क्षति अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	%	0%	0%	0%
उत्पादन	%	2%	-13%	5%
क्षमता उपयोग	%	2%	-13%	5%
घरेलू बिक्रियां	%	11%	-38%	24%
पीवीटी (प्रति केजी)	%	148%	-22%	-47%
नकद लाभ (प्रति केजी)	%	89%	-7%	-23%
आरओआई	%	45%	-35%	-16%

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने लाभ, नकद लाभ और आरओआई के अनुसार वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि का सामना किया है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

89. संबद्ध देश से आयात कीमत, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों से इतर कारकों की जांच, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हों, आदि से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। इस प्रकार उससे कीमत कटौती और कीमत ह्रास या न्यूनीकरण हो रहा है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

90. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर घरेलू उद्योग ने संबंधित प्राधिकारियों को क्षमता में *** एमटी की वृद्धि करने के लिए अनुरोध / आवेदन भी किया है। इसका अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। तथापि, यदि पाटन इस तीव्र गति से जारी रहता है तो घरेलू उद्योग के लिए क्षमता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं होगा।

झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

91. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

ज.4 वास्तविक क्षति का खतरा

ज.4.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

92. क्षति के खतरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ज.4.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

93. घरेलू उद्योग ने क्षति के खतरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. पाटित आयातों में 2019-20 में 5159 एमटी से पीओआई में 13097 एमटी की भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पीओआई के बाद की अवधि में भी चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि हुई है जो नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

आयात	यूनिट	अप्रैल'23-जून'23	जुलाई'23 -सितम्बर'23	अक्टूबर 23-दिसंबर 23
चीन जन. गण.	एमटी	3,314	2,486	3,988

ख. घरेलू उद्योग ने बताया है कि अक्टूबर 23 – दिसंबर 23 की तिमाही के दौरान चीन जन. गण. से आयात 3988 एमटी के हुए थे जबकि 2019-20 के दौरान पूरे वर्ष में आयात 5159 एमटी थे। यह देखा जा सकता है कि यह वृद्धि काफी अधिक है, क्योंकि पहले पूरे वर्ष के दौरान आयातों की मात्रा अब केवल एक तिमाही में आयातित की जा रही है।

ग. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में पीओआई के बाद की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

आयात	यूनिट	2021-22	पीओआई	अप्रैल'23-जून'23	जुलाई'23 - सितम्बर'23	अक्टूबर 23- दिसंबर 23
चीन (सीआईएफ कीमत)	रूपय/ केजी	257	243	190	187	161

घ. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में पीओआई के दौरान 243 रूपए/ किलोग्राम की तुलना में अप्रैल – जून 2023 के दौरान 190 रूपए /किलोग्राम जुलाई – सितंबर, 2023 के दौरान 187 रूपए /किलोग्राम और अक्टूबर – दिसंबर, 2023 161 रूपए / किलोग्राम की अतिरिक्त गिरावट आई है। इस प्रकार, पीओआई की बाद की अवधि में कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और न्यूनीकरण में और वृद्धि हो गई है और यह घरेलू उद्योग को आगे और क्षति का खतरा उत्पन्न करती है।

ड. घरेलू उद्योग की बाजार आसूचना के अनुसार चीन जन. गण. में टीपीयू के लिए भारी क्षमता वृद्धि की गई है। यह तथ्य चीन जन. गण. से कुछ भागीदार उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से भी समर्थित हो सकता है।

- च. मिराकल की क्षमता 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से बढ़कर पीओआई में 149 सूचकांक बिंदु हो गई है। इस प्रकार मिराकल द्वारा 50 प्रतिशत की भारी क्षमता वृद्धि हुई है।
- छ. इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि मिराकल की भारत को निर्यात बिक्रियां 2019-20 में 100 सूचकांक से काफी बढ़कर पीओआई में 262 सूचकांक बिंदु हो गई है। तथापि, उनकी घरेलू बिक्रियों में केवल 2019-20 में सिर्फ 100 सूचकांक बिंदु से पीओआई में 116 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि चीन जन. गण. में घरेलू मांग उसी गति से नहीं बढ़ रही है जैसे मिराकल द्वारा क्षमता वृद्धि की गई है और इस बात की संभावना है कि यदि पाटनरोधी उपाय मौजूद नहीं होते हैं तो भारत को निर्यात में और अधिक वृद्धि होगी।
- ज. इसी प्रकार इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि हुआफोन की भारत को निर्यात बिक्रियां 2019-20 में 100 सूचकांक से काफी बढ़कर पीओआई में 226 सूचकांक बिंदु हो गई है। तथापि, उनकी घरेलू बिक्रियों में केवल 2019-20 में केवल 100 सूचकांक बिंदु से पीओआई में 143 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है।
- झ. सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह देखा गया है कि हुआफोन की क्षमता 80,000 एमटी है जो संबद्ध वस्तु की भारतीय मांग के चार गुना से अधिक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस बात की संभावना है कि यदि पाटनरोधी उपाय लागू नहीं किए जाते तो भारत को निर्यातों में और अधिक वृद्धि होगी।

ज.4.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

94. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में निम्नानुसार प्रावधान है:

- (vii) वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;
- (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
- (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा
- (घ) उस वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही हो।"

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक क्षति के खतरे के आकलन के लिए प्राधिकारी ऐसे कारकों पर विचार कर सकते हैं जैसे भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की दर, संबद्ध देश में निपटान योग्य क्षमता, संबद्ध देश में क्षमता में वृद्धि, संबद्ध देश से आयात कीमतों की प्रवृत्ति, संबद्ध देश में उत्पादकों / निर्यातकों के पास पीयूसी की मालसूची। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के आकलन के लिए उक्त कारकों के अलावा किसी अन्य कारक की भी जांच कर सकते हैं।

क) भारत में आयातों की वृद्धि की अत्यधिक दर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती हो

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से आयातों में 5,056 एमटी पीओआई में 13,780 एमटी की भारी वृद्धि हुई है।

आयात	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन जन. गण.	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
	सूचीबद्ध	100	154	193	273
मांग	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	141	143	173

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों में लगातार वृद्धि हुई है। चीन जन. गण. से आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 2.5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी की जांच केवल पीओआई तक सीमित है।
98. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातों में वृद्धि की दर क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि की दर से काफी अधिक है।
- ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।
99. चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों की क्षमता में चीन जन. गण. में घरेलू मांग से काफी अधिक है।
100. सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों की क्षमता, क्षमता उपयोग और भारत को निर्यात बिक्रियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूनिट	2020	2021	2022	पीओआई
मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड					
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	137	149	149
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	80	81
भारत को निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	178	231	261
झेजियांगहु हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड					
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	148	179	184
भारत को निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	195	226

विवरण	यूनिट	2020	2021	2022	पीओआई
बीएसएफ					
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	89	88
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	124	111	101
भारत को निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	209	167	170

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मिराकल की क्षमता में 2020 में 100 सूचकांक बिंदुओं में पीओआई में 149 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है।
102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है जिसका उपयोग भारत को निर्यात में वृद्धि के लिए किया जा सकता है।
103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुआफोन की भारत की निर्यात बिक्रियों में 2020 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 226 सूचकांक बिंदुओं की भारी वृद्धि हुई है।
104. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन जन. गण. में एक भागीदार उत्पादक हुआफोन की संबद्ध वस्तु की कुल क्षमता और मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता संबद्ध वस्तु की कुल भारतीय मांग से काफी अधिक है।
105. चीन जन. गण. से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों की क्षमता, क्षमता उपयोग और निर्यात बिक्रियां यह दर्शाती हैं कि चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन की अपनी क्षमता में वृद्धि की है और / या उनके पास संबद्ध वस्तु की मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है और / या उन्होंने क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को अपने निर्यात बिक्री वृद्धि की है।
106. इस प्रकार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि निर्यातकों के पास पर्याप्त मुख्य रूप से निपटान योग्य या एक आसन्न पर्याप्त क्षमता में वृद्धि है, जो भारतीय बाजारों में पाटित आयातों में भारी वृद्धि की संभावना दर्शाती है।
- ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है
107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश की आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। यह घरेलू उद्योग के लिए काफी अधिक कीमत हासकारी और न्यूनकारी कीमत प्रभाव उत्पन्न कर रही है।
108. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार संबद्ध देश के आयातों की पहुंच कीमत में पीओआई के बाद की अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है जिसके कारण और अधिक कीमत हास / न्यूनीकरण हुआ है।

ज.5 कारणात्मक संबंध – गैर-आरोपण विश्लेषण

ज.5.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा कुल क्षमता का अकुशल प्रयोग किया गया है।
ख. अनेक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से घरेलू उद्योग का प्रभाव पड़ा है जो चीन जन. गण. के आयातों से अलग हैं। ऐसे कारणों में आंतरिक समस्याएं वैश्विक रूप से मंदी की बाजार दशाएं, कंपनी के उत्पादों की कम मांग और कोविड-19 महामारी का प्रभाव आदि शामिल हैं।

ज.5.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों का अधिकांश हिस्सा हैं। संबद्ध देश से आयात को छोड़कर अन्य देशों से आयात या तो काफी कम मात्रा हैं और / या उच्चतर कीमत पर हैं। अतः अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते हैं।
ख. हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देश से आने वाले पाटित आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति के किसी अन्य कारण की पहचान नहीं की है।

ज.5.3 गैर-आरोपण विश्लेषण

111. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ताकि इन अन्य कारकों की वजह से कोई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में, संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में प्रवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा अधिक नहीं है। इसके अलावा, गैर संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों की कीमत संबद्ध देश की कीमत की तुलना में काफी अधिक है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आयात कीमत (सीआईएफ) चीन जन. गण.	रु/केजी	175	167	258	242
अन्य देशों से आयात कीमत (सीआईएफ)	रु/केजी	263	229	303	453

ख) मांग में संकुचन

113. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि होती रही है।

ग) निर्यात निष्पादन और आबद्ध खपत

114. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। जहां जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू बाजार के अनुसार केवल घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

115. प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड.) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

116. घरेलू उद्योग ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल पीयूसी से संबंधित सूचना पर विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

117. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति का कारण माना जा सकता हो।

छ) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

118. भारत में खपत की प्रवृत्ति में पीयूसी के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ज.6 क्षति मार्जिन की मात्रा

119. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की पीओआई के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त विधिवत रूप से सत्यापित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी।
120. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन

उत्पादक/निर्यातक का नाम	एनआईपी (रु/केजी)	पहुंच मूल्य (रु/केजी)	क्षति मार्जिन (रु/केजी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (% रेंज)
मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
बीएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
अन्य सभी	***	***	***	***	60-70%

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

121. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से उनकी लागत बढ़ जाएगी और एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।
- ख. आवेदक घरेलू उद्योग की मांग के अनुसार उच्च पाटनरोधी शुल्क लगाने से चीन जन. गण. से सभी आयात अवरुद्ध हो जाएंगे और वे जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों जैसे अन्य देशों की ओर चले जाएंगे।
- ग. घरेलू उद्योग की क्षमता *** एमटी है जबकि भारत में टीपीयू की मांग लगभग 20,000 एमटी है। घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक होने के कारण अकेले भारतीय मांग का केवल 25-30 प्रतिशत पूरा कर सकता है। आयात केवल भारत में संबद्ध वस्तु की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए आए हैं और घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

122. घरेलू उद्योग ने जनहित के मुद्दों के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. भारत में बीएएसएफ इंडिया को छोड़कर किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और / या आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर देकर उन पर पाटनरोधी शुल्क के मात्रात्मक प्रभाव का व्यौरा नहीं दिया है। यह स्वयं दर्शाता है कि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क से उनके व्यवसाय पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- ख. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए गणना प्रदान की है कि विभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव मामूली होगा।
- ग. पाटनरोधी शुल्क से एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क भारत में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगी। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में आयात उचित कीमत पर हों और घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर दें।
- घ. मांग – आपूर्ति में अंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता निर्धारित करने हेतु संगत नहीं होता है। डीएसएम इंडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने अपीलकर्ता के इस दलील को अस्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ईपीडीएम का एकमात्र विनिर्माता था और वह घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। अपीलकर्ता ने यह भी दलील दी कि आयात केवल मांग – आपूर्ति के अंतर को भर रहे हैं। सीस्टेट ने मांग – आपूर्ति के अंतर के संबंध में यह संमुक्ति की कि यदि निर्यातक भारतीय बाजार में जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु की आपूर्ति करना चाहता है तो ऐसा सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर आवश्यकता का निर्यात करके किया जा सकता है, परंतु बाजार को कब्जाने के लिए पाटित मूल्य पर नहीं।
- ड. प्राधिकारी ने निरंतर यह माना है कि मांग – आपूर्ति का अंतर पाटन के लिए आधार नहीं है, चाहे मांग – आपूर्ति में हो। यह आवश्यक है कि संबद्ध वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध हो।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध पाटनरोधी जांच के संबंध में विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने आयातकों / प्रयोक्ताओं के प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए आयातकों / प्रयोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी विहित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तित उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता सोच बदलने की उपभोक्ता की क्षमता प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव आदि संबंधी जानकारी मांगी थी। तथापि, किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने प्राधिकारी के अनुरोध के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक क्षति जांच अवधि के दौरान भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है। यह देश के बृहत्तर आर्थिक हित में है कि पीयूसी के उत्पादन के लिए भारत में निवेश करने वाले एकमात्र घरेलू उत्पादक को भारतीय प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रचालन में जारी रहना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के एकाधिकार हो जाने के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने का कोई साक्ष्य रिकार्ड में नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार सृजित हो जाएगा। ऐसी अनेक जांचें हैं जहां पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। यद्यपि देश में एकमात्र उत्पादक और भारत से बाहर आपूर्ति करने वाला एकमात्र देश रहा था।
125. इस दावे के संबंध में कि भारत में मांग – आपूर्ति में अंतर है और आयात आवश्यक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग – आपूर्ति में अंतर की मौजूदगी भारत में उत्पाद के पाटन के लिए न्यायपूर्ण आधार नहीं हो सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि देश में मांग – आपूर्ति में अंतर है, तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद लागत देश में निश्चित रूप से इस अंतर को भर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यतः अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा होने वाली व्यापार विकृत की समस्या का समाधान करना है ताकि खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके। पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर बाजार में प्रवेश करें। इस प्रकार प्रयोक्ताओं के पास व्यापक विकल्प और उचित कीमत पर संबद्ध वस्तु के आयात की स्वतंत्रता होना जारी रहेगा जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।

126. मांग – आपूर्ति के अंतर के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक के पास भारत में उत्पाद के लिए उपलब्ध क्षमता पीओआई के दौरान पूरी तरह उपयोग नहीं हुई है जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा *** प्रतिशत क्षमता उपयोग से स्पष्ट है। यद्यपि वर्तमान क्षमता वर्तमान भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वह वर्तमान क्षमता से भी काफी अधिक उत्पादन कर सकता है। यदि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का कोई पाटन नहीं हुआ हो। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर उसने संबंधित प्राधिकारियों से क्षमता में *** एमटी की वृद्धि करने का अनुरोध / आवेदन भी किया है। अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। तथापि यदि पाटन इतनी तेज गति से जारी रहता है तो घरेलू उद्योग के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं होगा। प्राधिकारी इस अनुरोध को भी मानते हैं कि एकमात्र आवेदक घरेलू उत्पादक ऐसी स्थिति में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद नहीं कर सकता है जबकि चीन जन. गण. से भारत में आने वाले पाटित आयातों के कारण मौजूदा क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है।
127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग पीयूसी की बढ़ती हुई बाजार मांग के लिए आपूर्ति करने में असमर्थ है, जो मोबाइल कवर और फुटवियर के लिए सोल बनाने के प्रयोग द्वारा पर्याप्त रूप से चालित है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाकर पाटन का उपचार नहीं किया जाता है तो इससे उत्पादन बंद हो सकता है और मौजूदा उत्पादन क्षमता बंद हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों को भारत में बाजार पर एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा और अंतिम प्रयोक्ता पीयूसी की आपूर्ति के लिए केवल चीन पर निर्भर हो जाएंगे। इससे चीन जन. गण. पर निर्भरता पर वृद्धि होगी और अंतिम प्रयोग को खतरा होगा।
128. मोबाइल कवर के प्रयोक्ता उद्योग और फुटवियर के सोल उत्पादक पर पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पीयूसी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को मोबाइल कवर और फुटवियर सहित डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर 0.01-2 प्रतिशत की रेंज में दर्शाती है। तथापि, इनमें से किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने अपने व्यवसाय पर पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए असाक्ष्यांकित दावे पर भरोसा करने में असमर्थ हैं।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

129. प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में आयात की जांच और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है:
- क. समग्र रूप से संबद्ध देश से आयात 2019-20 में 5,056 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि पीओआई में 13,780 मीट्रिक टन हो गया है।
- ख. क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है।
- ग. उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों 2019-20 में 100 अनुक्रमित बिंदुओं से घटकर पीओआई में 93 अनुक्रमित बिंदु हो गए हैं।
- घ. घरेलू बिक्री 2019-20 में 100 अनुक्रमित अंक से घटकर पीओआई में 85 अनुक्रमित अंक हो गई है।
- ङ. इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में मांग बढ़ रही है और घरेलू उद्योग ने 2019-20 और 2020-21 में उच्च क्षमता उपयोग हासिल किया है, पीओआई के दौरान क्षमता उपयोग कम है।
- च. 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में पीयूसी की मांग में 73% की वृद्धि हुई। हालाँकि, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2019-20 की तुलना में पीओआई में 51% कम हो गई और संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी 2019-20 की तुलना में पीओआई में 58% बढ़ गई। संबद्ध देश से आयात ने मांग में संपूर्ण वृद्धि पर कब्जा कर लिया है।
- छ. घरेलू उद्योग का कर पूर्व लाभ 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में 14% कम हो गया है।

- ज. 2019-20 की तुलना में घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर रिटर्न पीओआई में 21% कम हो गया है।
- झ. चीन पीआर में उत्पादकों/निर्यातकों के पास पर्याप्त स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता है जिसका उपयोग भारत में निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- ञ. चीन पीआर के उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता चीन पीआर में घरेलू मांग से अधिक है।
- ट. अन्य ज्ञात कारक जैसे निर्यात, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी, उपभोग का पैटर्न, मांग में गिरावट से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

130. इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के बढ़ते डंप आयात के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देश में उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक मजबूत कारण संबंध मौजूद है।

ट प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

- क. बीएपीएस ने प्रस्तुत किया है कि बीआईएसएल बीएपीएस का एक संबंधित उत्पादक है और उसने पीओआई की समाप्ति के बाद संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, उसने प्रस्तुत किया है कि बीआईएसएल बीएपीएस के समान व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन और परिणामी शुल्क का हकदार है क्योंकि यदि व्यक्तिगत उपचार केवल समूह इकाई (इस मामले में बीएपीएस) तक ही सीमित है, जिसने निर्यात किया है जांच की अवधि के दौरान भारत के लिए विषय वस्तु, तो अन्य समूह कंपनियां (इस मामले में बीआईएसएल) न तो अपने माल को उसी दर पर निर्यात कर सकेंगी और न ही नियम 22 के संदर्भ में नए शिपर समीक्षा की हकदार होंगी।
- ख. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि कोवेस्ट्रो एक वैश्विक कंपनी है जिसके जर्मनी आदि कई देशों में विनिर्माण स्थल और कार्यालय हैं, जो उच्च प्रदर्शन वाले पॉलिमर और सामग्रियों के निर्माण में माहिर हैं। इसने आगे कहा है कि कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्रा. लिमिटेड चीन में कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड से संबंधित कंपनी है। वर्तमान में, कोवेस्ट्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड चीन से संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है। हालाँकि, चीन से थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन (टीपीयू) के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद, कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता यानी जर्मनी में कोवेस्ट्रो से संबद्ध वस्तुओं का आयात शुरू कर सकता है। यह रणनीति कोवेस्ट्रो को चीन पीआर में अन्य उत्पादकों को कमजोर करके भारत में एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दे सकती है।
- ग. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने आगे कहा है कि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में बेचा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएं और बाजार मूल्य हैं। इस विविधता को देखते हुए, उसका अनुरोध है कि प्राधिकारी को थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन (टीपीयू) के आयात पर परिवर्तनीय शुल्क संरचना की सिफारिश करनी चाहिए।
- घ. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड ने प्रकटीकरण विवरण पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

132. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- क. प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटीकरण विवरण में उल्लेखित विचाराधीन उत्पाद का दायरा सही है। प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम निष्कर्षों में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- ख. प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि आवेदक नियमों के नियम 2(बी) के तहत पात्र घरेलू उद्योग है, और यह कि आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है, सही है और अंतिम निष्कर्षों में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
- ग. प्राधिकारी ने सही ढंग से निर्धारित किया है कि चीन पीआर से आयात डंप और हानिकारक आयात है।

- घ. आयात की मात्रा, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों के संबंध में प्राधिकारी की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से चीन पीआर से पीयूसी के डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति और अधिक गंभीर क्षति के खतरे का संकेत देती हैं। प्राधिकारी की टिप्पणियों की पुष्टि अंतिम निष्कर्षों में भी की जानी चाहिए।
- ड. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं हैं। चीन पीआर से डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध है।
- च. प्राधिकारी को अपने अंतिम निष्कर्षों में 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन पीआर से पीयूसी के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करनी चाहिए।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

- क. इस प्रस्तुति के संबंध में कि बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड बीएएसएफ पॉलीयुरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड के समान व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन और परिणामी शुल्क का हकदार है, प्राधिकारी नोट करता है कि बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड जांच अवधि के दौरान पीयूसी का उत्पादक नहीं था। इसलिए, बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड के लिए कोई व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है और परिणामस्वरूप बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड के लिए कोई एंटी-डंपिंग शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- ख. इस तर्क के संबंध में कि यदि चीन पीआर से आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग जर्मनी में अपनी मूल कंपनी से पीयूसी का आयात शुरू कर सकता है, और बाजार में एकाधिकार बना सकता है, प्राधिकारी नोट करता है कि चीन से पीयूसी का आयात होता है पीआर पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एंटी-डंपिंग शुल्क से एकाधिकारवादी स्थिति का निर्माण होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क हमेशा देश-विशिष्ट होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग अन्य देशों से आयात के साथ-साथ बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने में सक्षम होंगे।
- ग. इस प्रस्तुति के संबंध में कि पीयूसी के आयात पर ग्रेड-वार परिवर्तनीय शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि उसने समग्र रूप से पीयूसी के लिए डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। वास्तव में, किसी भी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच में पीसीएन पद्धति को अपनाने का अनुरोध नहीं किया। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करता है कि पीयूसी के आयात पर ग्रेड-वार परिवर्तनीय शुल्क की सिफारिश करने की कोई संभावना नहीं है।

ठ. निष्कर्ष

133. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, प्रदत्त साक्ष्यांकित सूचना और रिकार्ड में प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और पूर्वोक्त पैराग्राफों में जांच तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है:
- i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन" ("टीपीयू") है। टीपीयू एक पिघल प्रक्रिया योग्य थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें प्लास्टिक और रबड़ के अद्वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल, ग्रीज और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूलस, छरों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिव्स द्वारा संशोधित रूप में हो सकता है, शामिल है। उत्पाद के दायरे में पोलिस्टर आधारित टीपीयू तथा पोलिएथर आधारित टीपीयू शामिल हैं। पोलिकैप्रोलैक्टोन आधारित टीपीयू विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के मामले में बीएएसएफ ग्रुप को छोड़कर सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है, बल्कि काफी अधिक पाया गया है।

- iii. आवेदक कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग और आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।
 - iv. संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों में पीओआई में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी भारी वृद्धि हुई है।
 - v. यद्यपि पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध देश आयातों के बाजार हिस्से में उसी अवधि में भारी वृद्धि हुई है।
 - vi. आयातों की पहुंच कीमत पीओआई में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है और इसलिए वह घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम रही है।
 - vii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में 2020-21 से लगातार गिरावट आई।
 - viii. घरेलू उद्योग के मुख्य आर्थिक मापदंडों जैसे घरेलू बिक्री, उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इस तथ्य के बावजूद कम रहा है कि मांग में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से पाटित आयातों के नहीं होने पर 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल कर सकता है।
 - ix. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति उठानी पड़ी है। क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है। यदि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के और बढ़ने तक खतरा भी है।
 - x. कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।
 - xi. जनहित के संबंध में यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर बाजार पर प्रवेश करें। प्रयोक्ताओं के पास व्यापक विकल्प और उचित कीमत पर संबद्ध वस्तु की आयात करने की स्वतंत्रता होना जारी रहेगा, जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।
134. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद के इस पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ड. सिफारिश

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू के संबंध में सकारात्मक जानकारी देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
136. नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का मत है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी नीचे वर्णित ढंग और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 5 वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
137. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच(5) वर्षों के लिए लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष / उपशीर्ष	समान का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूओएम	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39095000	थर्मोप्लास्टिक पोलियूरेथेन(टीपीयू)*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	बीएसएफ पोलियूरेथेन स्पेशियलटीज चाइना कंपनी लि०	शून्य	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांगहु हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड	1.15	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	0.93	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्रम संख्या (1), (2) एवं (3) अलावा कोई भी निर्माता	1.58	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई	1.58	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

* उत्पादन के दायरे में पॉलिएस्टर आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीएथर आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

138. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

139. इस जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण (सीस्टेट) के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****Final Findings**

New Delhi, the 6th August, 2024

Case No. AD (OI) -22/2023**Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Thermoplastic Polyurethane (TPU)” originating in or exported from China PR**

F. No. 6/23/2023-DGTR:— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereafter also referred to as the “Rules”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Covestro (India) Pvt Ltd. (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “**Thermoplastic Polyurethane**” (“**TPU**”) (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The Authority, on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide notification no. 6/23/2023-DGTR dated 29th September 2023, published in the Gazette of India-Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 29th September, 2023, published in the Gazette of India-Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users of the subject goods and other interested parties, as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and to make their submissions in writing within the time limit prescribed in the initiation notification.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The embassy of the subject country in India was sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters with the request to advise the exporters/producers from their country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification.
 - f. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose product control numbers (PCNs), if required, within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential application.
 - g. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the document filed before the Authority.

- h. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereafter also referred to as 'EIQ') to the interested parties seeking inputs on the economic impact of the proposed duties.
- i. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Wanhua Chemical Singapore Pte Ltd
 - ii. Shandong Inov Polyurethane Co Ltd
 - iii. Wanhua Chemical Group Co Ltd
 - iv. Shandong Huada Chemical New Material Co Ltd
 - v. Yantai Jinbei Chemicals Co. Ltd
 - vi. Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co Ltd
 - vii. Shandong Dawn Polymer Co Ltd
 - viii. Chuang Xin Trading Company Ltd
 - ix. Grand Dignity Industrial Co Ltd
 - x. Yantai Linghua New Material Co Ltd
 - xi. Ningbo Joan Import Export Co Ltd
 - xii. BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd.
 - xiii. Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd.
 - xiv. Miracell Chemicals Co. Ltd
 - xv. Singbon New Materials (Shandong) Co., Ltd and Yantai Singbon New Material Technology Co., Ltd
- j. In response to the above notification, the following producers/exporters of the product under consideration from subject country have registered as an interested party;
- i. BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd. (BAPS)
 - ii. BASF International Trading (Shanghai) Co., Ltd. (BITC)
 - iii. BASF Hong Kong Limited (BHKL)
 - iv. BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd (BISL)
 - v. Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd. (Huaфон)
 - vi. Miracell Chemicals Co. Ltd (Miracell)
 - vii. Yantai Singbon New Material Technology Co., Ltd
 - viii. Singbon New Materials (Shandong) Co., Ltd
- k. The Authority notes that Singbon New Materials (Shandong) Co., Ltd and Yantai Singbon New Material Technology Co., Ltd have registered themselves as interested parties but have not filed the questionnaire response. They have also not filed any submission during the course of the investigation.
- l. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. G R Industries
 - ii. Polyhose India Pvt Ltd
 - iii. Tirupati Global International
 - iv. Sen Hon Lee Technologies Private Limited
 - v. Excel Polymer Industries
 - vi. Electra Enterprise Llp
 - vii. P V Engineering Associates Private Limited

- viii. Lanshang Industrial Private Limited
 - ix. Calsea Footwear Private Limited
 - x. Globechem Imports
 - xi. BASF India Limited
 - xii. Le Mei Plastic Manufacturing Private Limited
 - xiii. Adani International
 - xiv. Saurav Footwear Private Limited
 - xv. Ms Chemical Corporation
 - xvi. Rajasthan Plastic Industries
 - xvii. Plasticent Marketing Private Limited
- m. The following importers/users have registered themselves as interested parties:
- i. BASF India Limited (BIL)
 - ii. Excel Polymer Industries
 - iii. Essentex Company
 - iv. Royal Marketing
- n. The following interested parties have not filed the questionnaire response but have submitted written submissions during the course of the investigation:
- i. Excel Polymer Industries
 - ii. Essentex Company
 - iii. Royal Marketing
- o. The following entities have neither registered as interested parties nor filed questionnaire response but have submitted written submissions during the course of the investigation
- i. Calsea Footwear Private Limited (Calsea)
 - ii. Gemini & Co. (Gemini)
 - iii. Enkay (India) Rubber Company Pvt. Ltd. (Enkay)
 - iv. Rajkot Mobile Cover Manufacturer Association (“RMCMA”)
 - v. PU Leather Cloth Manufacturers Association
- p. The producers/exporters from the subject country who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non-cooperative in the investigation.
- q. Interested parties were provided 15 days’ time from the date of circulation of non-confidential version of the application, to file their comments on the scope of PUC and PCN methodology, which ended on 24th October, 2023. None of the interested parties provided any comments or proposals to the Authority for the scope of PUC or proposed PCN methodology within the prescribed timelines.
- r. Accordingly, the Authority finalized the scope of PUC and PCN methodology in the subject investigation vide notice no. 6/23/2023-DGTR dated 30th October, 2023. Authority granted 30 days’ time to interested parties from 30th October, 2023 to file questionnaire responses. Upon the request of certain interested parties, the Authority granted further extension of two weeks to file the questionnaire responses i.e., till 13th December, 2023.

- s. The DG System and the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) were requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the present final findings.
- t. The period of investigation (“POI”) for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023. The injury period for the present investigation is 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022 and the POI.
- u. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held on 21st May, 2024. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- v. The non-injurious price (hereinafter also referred to as the “NIP”) has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- w. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified during on site-verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings.
- x. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country was also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present final findings.
- y. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims.
- z. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties in the present final findings, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- aa. In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 23rd July, 2024 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this final findings notification.
- bb. ‘***’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of the Rules.
- cc. The exchange rate for the POI adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 81.06.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration as defined at the stage of initiation is as follows-

“3. The product under consideration is “**Thermoplastic Polyurethane**” (“**TPU**”) originating in or exported from China PR. TPU is a melt-processable thermoplastic elastomer having unique properties of plastic and rubber, including elasticity, transparency, and resistance to oil, grease, and abrasion. TPU is thermoplastic elastomer consisting of linear segmented block copolymer composed of hard and soft segments. PUC covers TPU in the form of powder, granules, pellets, unmodified or modified by colourants, fillers or other additives.

4. TPU is a unique type of plastic that bridges the gap between rubber and plastic. TPU combines a multitude of strengths characterizing rubber on one hand and thermoplastic materials on the other. TPU can, for instance, be deformed under tensile and compressive load, but afterwards return to their original shape. Furthermore, it can be stretched when heated, and when heated even, they can be melted and moulded over and over again. The key to TPU's versatility is that its hardness can be highly customized. TPU can be as soft as rubber or as hard as rigid plastic. TPU can be transparent or coloured or hard or soft/smooth to provide grip.

5. TPU is obtained from the reaction of polyols (polyester or polyether or polycaprolactone based or a combination of these), diisocyanates and short-chain diols. Additives can be added to these to achieve special properties. By combining all the elements, a wide range of hardness and mechanical properties can be achieved. PUC is offered by the applicant in different grades. However, these different grades are different merely in terms of properties, which can be achieved through control on process parameters and use of specific additives. All these grades remain the same as one article.

6. The product scope covers polyester-based TPU as well as polyether-based TPU, and polycaprolactone-based TPU is specifically excluded from the scope of product.

7. The product under consideration is used in a wide variety of applications including automotive instrument panels, agriculture (animal ID tags), caster wheels, power tools, sporting goods, medical devices, tubes & hoses, belts and profiles industry, footwear, inflatable rafts, variety of extruded film, sheet and profile applications, outer cases of mobile electronic devices, keyboard protectors for laptops etc. TPU is also substituting rubber and PVC (Poly Vinyl Chloride) in premium motorcycle market as well as passenger car interiors.

8. The product under investigation is being imported under Custom Tariff Heading 39095000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on scope of the product.”

C.1. Submissions made by the other interested parties

5. The other interested parties have made following submissions with respect to product under consideration:
 - a. The specifications of the PUC exported from China PR to India are transforming from low value-added products to high value-added products. The complexity of product design and the demand for customization has increased. Some technically advanced products cannot be produced by the domestic industry. As a result, the domestic industry is not able to meet such demand of downstream customers.
 - b. Subject goods produced by the domestic industry does not meet the stringent demand of customers who are exporters of footwear and source their footwear soles from Enkay.
 - c. Calsea and Gemini have sourced TPU grades from the domestic industry, however, the same does not meet demand of its clients in other countries. Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd, China is duly approved by its clients in other countries for quality specifications and price agreements. It is further submitted that this approval from customers, which are reputed brands, is given after due audit of the material from suppliers.
 - d. Excel's customer also did an extensive audit of its supplier Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd, China, and it was the only company to pass the stringent test requirement of its customer.
 - e. International brands advocate for the use of Global Recyclable Standard Grades (“**GRS grades**”) to promote environmental sustainability. The domestic industry does not produce these grades. These grades are manufactured by only a select few manufacturers globally and China PR being the biggest in this category.

The current supplier Zhejiang Huafon TPU Co. Ltd, China PR has already obtained GRS certificate to manufacture GRS grades and its customers in other countries have also approved their quality specifications.

- f. The domestic industry is also dependent on major imports of its raw materials from China PR for making TPU. The domestic industry has only limited grades manufactured in their Indian facility which is an old technology. The domestic industry's products/grades are technically incompetent in mobile phone cover application.
- g. The PU Leather Cloth Manufacturers Association has claimed that its members use Polyurethane Resin ("PU Resin") as an input product in their manufacturing process. PU Resin and TPU fall under the same custom tariff heading i.e., 39095000. The association anticipates that there may be confusion between both the products at the customs at the time of import if anti-dumping duty is recommended on TPU by the Authority and imposed by Ministry of Finance. Thus, the association has requested that PU resin may be expressly excluded from the scope of PUC.

C.2. Submissions made by the domestic industry

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration:
 - a. None of the interested parties has made any submissions/comments on the PUC or proposed PCNs within the time limit prescribed by the Authority.
 - b. Calsea, Gemini, Enkay and RMCMA have not registered themselves as interested parties and have not filed importer/user questionnaire response. Thus, their written submissions on the scope of PUC should not be considered by the Authority.
 - c. Trade Notice No. 11/2018 provides for streamlining of investigation process with regard to registration of interested parties and weightage to be given to submissions made by parties during the course of the investigation. Thus, if an entity does not register as an interested party and fails to file a questionnaire response within the given timeline, the Authority will disregard that entity's submissions. Additionally, if an interested party registers but does not file the questionnaire response, their submissions will be given less weightage.
 - d. In *Forech India Ltd. Versus the Designated Authority & Others*, the Hon'ble Delhi High Court observed that substantive and procedural requirements laid down by the Authority in its own trade notices are required to be followed in all cases and flexibility cannot be granted by the Authority in this regard.
 - e. The Authority should not consider Calsea, Gemini, Enkay and RMCMA as interested parties in the subject investigation. Consequently, submissions made by Calsea, Gemini, Enkay and RMCMA are required to be rejected for this reason itself.
 - f. Excel Polymer Industries , Royal Marketing and Essentex Company have registered themselves as interested parties but they have not filed the importer/user questionnaire response.
 - g. In *Merino Panel Products Ltd. Versus Designated Authority, Directorate General of Anti-Dumping And Allied Duties*, Hon'ble Customs, Excise, Service Tax and Appellate Tribunal ("CESTAT") observed that if the importer does not file questionnaire response then it cannot establish itself as an importer in the anti-dumping investigation.
 - h. Excel Polymer Industries , Royal Marketing and Essentex Company should be treated as non-cooperating importers/users and granted lesser weightage to the submissions made by them in accordance with Trade Notice No.11/2018.

- i. Calsea and Excel Polymer Industries have not provided any information regarding their imports to show that GRS grade has been imported by them. Thus, it cannot not be verified whether their claim regarding import of GRS grade is correct or not and also whether there is any demand of GRS grade in the domestic market.
- j. In anti-dumping investigation concerning *Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products originating in or exported from the European Union, Japan, USA and Korea RP*, final findings dated 17th June 2020, the Authority observed that when it cannot be verified whether there is any demand of the product sought to be excluded, exclusion of product types cannot be granted.
- k. Calsea and Excel Polymer Industries have not provided any technical specifications of GRS grade and have made a generic and presumptuous submission that the domestic industry is not producing GRS grade. The basis for claiming exclusion based on generic description of GRS grade is to create opportunity for circumvention of anti-dumping duty in the future by declaring the imports of TPU as GRS grade.
- l. GRS is a voluntary product standard for tracking and verifying the content of recycled materials in a final product. The standard applies to the full supply chain and addresses traceability, environmental principles, social requirements, chemical content and labelling. GRS covers processing, manufacturing, packaging, labelling, trading and distribution of all products made with a minimum of 20% recycled material. It also sets requirements for third-party certification of recycled content, chain of custody, social and environmental practices, and chemical restrictions. The standard supports companies looking to verify the recycled content of their products as well as responsible social, environmental, and chemical practices in the production of these products. The desired effect of GRS is to provide brands with a tool for more accurate labelling, to encourage innovation in the use of reclaimed materials, to establish more transparency in the supply chain, and to provide better information to consumers. The goal of GRS is to increase use of recycled materials in products and reduce or eliminate the harm caused by its production. Thus, GRS grade is not a mandatory requirement and is not a distinct product grade having different technical specification. It is effectively a certification of minimum amount of recycled content/raw materials in the finished goods.
- m. Calsea and Excel Polymer Industries have not provided any evidence to show that order was placed on the domestic industry for supply of the GRS grade and the domestic industry refused to supply such grade to Calsea and Excel. The domestic industry has not received any orders specifying the requirement of GRS grade of the subject goods till date.
- n. It is the consistent practice of the Authority to examine whether any users/customers have placed an order for a specific grade of the PUC with the domestic industry, and the domestic industry has not been able to supply that specific grade or shown its inability to fulfil such orders.
- o. If an exclusion is granted for GRS grade simply without providing any technical specifications of such grade, it will result in circumvention of anti-dumping duty. Customs Authority cannot verify at the time of import whether the imported TPU is GRS grade if no technical specifications are prescribed by the Authority.
- p. In anti-dumping investigation concerning *Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products originating in or exported from the European Union, Japan, USA and Korea RP*, Final Findings dated 17th June 2020, the Authority rejected the request for exclusion of certain specialized grades and/or non-prime product when it was determined that there are no clear physical attributes or technical distinctions that differentiate such product types.
- q. The subject goods produced and sold by the domestic industry and the imported GRS grade from the China PR are functionally substitutable and replaceable in the market, due to similar end use. In *Merino Panel Products Ltd. Versus Designated Authority, Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties*,

CESTAT observed that exclusion of certain types/grades of the product from the investigation is permissible where the imported product is not in commercial competition with the indigenous product and its import, therefore, would not cause any injury to the domestic industry.

- r. In *DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority*, CESTAT observed that the appellant did not produce any evidence/ technical literature to substantiate that the product manufactured by the domestic manufacturers was different from the goods exported into India except stating that they were of different grades. CESTAT rejected the contentions of the appellant.
- s. In *Kajaria Ceramics Ltd. Versus Designated Authority*, the CESTAT observed the irrelevance of different grades, when it is known that the grades imported into India are at dumped prices and can replace the grade supplied by the domestic industry.
- t. Further, the Hon'ble CESTAT in *DSM Idemitsu Limited vs Designated Authority* also upheld the fact that difference in quality does not imply that the imported product and the domestic product are not like articles.
- u. Calsea and Excel Polymer Industries have submitted regarding the GRS grades for the first time in their post-hearing written submissions. Calsea and Excel Polymer Industries have not provided any evidence of their imports of GRS grades of the subject goods from Zhejiang Huaфон TPU Co Ltd in China PR.
- v. Calsea was regularly procuring the subject goods from the domestic industry till 2019. However, Calsea shifted its sourcing to imports from China PR. Calsea never raised any objections on the quality, or the grades of the subject goods supplied by the domestic industry to Calsea. The reason for change in supplier is lower dumped price of the subject goods from China PR.
- w. With regard to the claim that the TPU grade produced by the domestic industry is not suitable for production of the mobile covers, the claim is factually incorrect. No information is provided regarding particular grade or details of technical specifications of TPU etc. that are required for production of the mobile covers, and which cannot be supplied by the domestic industry. TPU produced and supplied by the domestic industry is fully suitable for production of mobile covers. In fact, TPU supplied by the domestic industry is having better cycle time, processing, and transparency but due to lower price, customers have shifted to exporters from China PR. The TPU supplied by the domestic industry is regularly used for making mobile covers. Details of key customers and volume of TPU supplied for making mobile covers has been furnished to the Authority by the domestic industry.
- x. With regard to quality of the PUC supplied by the domestic industry, submissions by other interested parties are generic and unsubstantiated allegations. None of the importers/users have reported that TPU supplied by the domestic industry was tested and not approved by their R&D departments or customer inspection teams. Importers/users of TPU for mobile covers or shoe soles have not provided any test reports to show that product supplied by domestic industry is inappropriate. The failure or refusal to test the domestic product does not indicate that it is of inappropriate quality.
- y. The domestic industry is a part of a multi-national corporation having manufacturing plants of TPU in countries outside India as well. It is not possible for any multi-national corporation to set up manufacturing facility in different countries if its products are not competitive in quality by global standards. Moreover, the domestic industry has exported the TPU produced in India to other countries as well. None of their customers either in India or outside India have raised any issue regarding quality of TPU supplied by the domestic industry.
- z. Gemini has sourced the subject goods from one of the dealers of the domestic industry and Gemini did not communicate that the quality or grade supplied by the domestic industry was not suitable for their requirement. Mere statement by Gemini that quality of the domestic industry does not meet their standard without any evidence should not be considered by the Authority.

- aa. It is a settled principle that quality is not the criterion for seeking exclusion of product grades from the scope of the PUC. It has been the consistent practice of the Authority to not grant any exclusion of product grade based on claim regarding inferior quality of product supplied by the domestic industry.
- bb. In the following cases, issue regarding inferior quality of the subject goods supplied by the domestic industry was not considered as relevant justification for condoning dumping of product into India and/or for granting exclusion of product type from the scope of the PUC:
- i. Anti-dumping investigation concerning imports of Newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint originating in or exported from Australia, Canada, European Union, Hong Kong, Russia, Singapore and United Arab Emirates – final findings dated 19th January 2021
 - ii. Anti-dumping investigation concerning imports of Electroalvanized Steel from Korea RP, Japan and Singapore – final findings dated 27th July 2022
 - iii. Anti-dumping investigation concerning imports of Viscose Rayon Filament Yarn originating in or exported from China PR – final findings dated 29th September 2023
- cc. Regarding the claim that the domestic industry imports raw material from China PR for TPU production, the domestic industry has already disclosed these imports to the Authority. The Rules do not require that a domestic industry seeking anti-dumping duties on a product it manufactures in India must refrain from importing raw materials from China PR for that product.
- dd. In many previous investigations conducted by the Authority, the domestic industry in India requesting imposition of anti-dumping duty on imports from China PR was also an importer of raw material from China PR. Some illustrative examples of such investigations are as follows:
- i. Anti-dumping investigation concerning imports of New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks", originating in or exported from China PR – final findings dated 1st October 2017 - Carbon black, which is the raw material for production of tyres, is imported from China PR by the domestic industry.
 - ii. Anti-dumping investigation concerning imports of Fluoro Backsheet originating in or exported from China PR. – final findings dated 29th March 2022 – raw material polyvinylidene fluoride used in production of Fluoro Backsheet is imported from China PR
 - iii. Anti-dumping investigation concerning imports of Solar Cells whether or not assembled partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates from China PR – final findings dated 22nd May 2014 – raw materials such as silicon wafer, fluoro backsheet, EVA sheets etc. for production of solar cells and modules are imported from China PR
 - iv. Anti-dumping duty investigation concerning imports of Aluminium Foil originating in or exported from China PR – final findings dated 10th March 2017 – Foil Stock used for production of Aluminium Foil was imported from China PR by domestic industry.
 - v. Anti-dumping investigation on Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia – final findings dated 10 April 2017 – Met coke required for production of Hot-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel was imported by domestic producers from China PR, Japan, Indonesia etc.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority notes that none of the submissions regarding scope of the PUC were raised by interested parties within the timeline of 15 days granted by the Authority from the date of circulation of non-confidential version of the application by domestic industry. Accordingly, the Authority confirmed the aforementioned scope of PUC vide notice having no. 6/23/2023-DGTR dated 30th October 2023.
8. The Authority has however addressed the arguments regarding the scope of the PUC and has examined the same based on the relevant information available on record.
9. The Authority also notes that none of the alleged importers/users or association has substantiated their claim regarding lack of quality of goods produced by the domestic industry with evidence. Moreover, none of the alleged importers/users or association who has raised issue regarding scope of the PUC has filed importers/users questionnaire response to evidence the imports of the subject goods made by them and their status as

importers/users of the subject goods. In absence of any importer or user questionnaire response from individual entities, the Authority is unable to verify whether they are actually importer/user of the subject goods and interested parties in the subject investigation. The Authority notes that in accordance with Trade Notice 11 of 2018, lesser weightage should be granted to the submissions made by importers/users who have not filed questionnaire response.

10. With regard to the submission made by Rajkot Mobile Cover Manufacturer Association on behalf of their members who are alleged importers and users of the subject goods, the Authority notes that none of their members are clearly identified and the members have also not filed importer or user questionnaire response. Thus, the Authority is also unable to verify the status of Rajkot Mobile Cover Manufacturer Association as an association of importers/users of subject goods and as an interested party.
11. The Authority also notes that the information provided by the domestic industry shows that users in India have been procuring the subject goods from the applicant. The applicant has submitted that there has been no instance of rejection of the subject goods supplied by the applicant to the users for quality issues.
12. With regard to the submissions concerning 'GRS grade' of the PUC, the Authority notes as follows:
 - i. Importers and users who have claimed that they import the subject goods with GRS certification have not filed the importer/user questionnaire response or provided evidence to show that GRS is a different product grade having different technical and physical characteristics.
 - ii. Importers and users who have claimed that they import subject goods with GRS certification have not provided technical specifications of such product sought to be excluded. In the absence of technical specifications, it is not possible to consider their claim regarding exclusion of the same.
 - iii. In absence of questionnaire response from importers and users, the Authority is unable to verify that the subject goods with GRS certification have been imported by them. Thus, it cannot also be verified whether their claim regarding use of the subject goods with GRS certification is correct or not and also whether there is any demand of the subject goods with GRS certification in the domestic market.
 - iv. The Authority is also unable to verify the claim that products produced by them using imported subject goods with GRS certification have been exported by them.
 - v. Exclusion of a particular product type from the scope of the PUC can be considered only if it is established that the product type sought to be excluded is technically different, is meant for specific end use and is not substitutable with grades produced by the domestic industry.
 - vi. It is also pertinent to note that the product types not manufactured by the domestic industry such as polycaprolactone based TPU have been excluded from the scope of PUC by the domestic industry themselves. The domestic industry has claimed that all other types of TPU are produced by them.
 - vii. Therefore, the Authority concludes that there is no requirement to exclude 'GRS grade' from the scope of the PUC.
13. With regard to the claim that the subject goods produced by the domestic industry is not suitable for mobile covers, the Authority notes as follows:
 - i. The importers and users who have claimed that the subject goods produced by the domestic industry is not suitable for production of the mobile covers, have not filed the importer/user questionnaire response. Therefore, the Authority cannot examine the details of the subject goods imported by them and the correctness of their claim.
 - ii. The importers and users have also not provided any information to substantiate their claim that TPU grade produced by the domestic industry is not suitable for production of mobile covers.
 - iii. The domestic industry has also provided information to show that TPU produced by them has been used for the production of the mobile covers and have been used by mobile cover manufacturers. No information is provided regarding particular grade or details of technical specifications of TPU etc. that are required for the production of mobile covers, and which cannot be supplied by the domestic industry.
 - iv. It is also pertinent to note that the product types not manufactured by the domestic industry such as polycaprolactone based TPU have been excluded from the scope of PUC by the domestic industry itself. The domestic industry has claimed that all other types of TPU are produced by them.
 - v. Therefore, the Authority concludes that there is no requirement to exclude the subject goods for use in mobile cover from the scope of the PUC.

14. With regard to the request to expressly exclude 'PU Resin' because the subject goods and PU resin are imported under the same HS code 39095000, the Authority notes that the anti-dumping duty is levied on the basis of the description of the PUC and the HS codes are only indicative. In the present case, the PUC is Thermoplastic Polyurethane(TPU). PU resin is not part of the description of PUC and hence there is no need to expressly exclude PU resin from the scope of the PUC.

15. Rule 2(d) of the Rules provides the definition of like article as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

16. After considering the information on record, the Authority concludes that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules and it is comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially, substitutable.

17. Further, the Authority concludes that the PUC is same as noted in the initiation notification and as determined vide notice dated 30th October, 2023 and the same is reproduced as below:

“3. The product under consideration is **“Thermoplastic Polyurethane” (“TPU”)** originating in or exported from China PR. TPU is a melt-processable thermoplastic elastomer having unique properties of plastic and rubber, including elasticity, transparency, and resistance to oil, grease, and abrasion. TPU is thermoplastic elastomer consisting of linear segmented block copolymer composed of hard and soft segments. PUC covers TPU in the form of powder, granules, pellets, unmodified or modified by colourants, fillers or other additives.

4. TPU is a unique type of plastic that bridges the gap between rubber and plastic. TPU combines a multitude of strengths characterizing rubber on one hand and thermoplastic materials on the other. TPU can, for instance, be deformed under tensile and compressive load, but afterwards return to their original shape. Furthermore, it can be stretched when heated, and when heated even, they can be melted and moulded over and over again. The key to TPU's versatility is that its hardness can be highly customized. TPU can be as soft as rubber or as hard as rigid plastic. TPU can be transparent or coloured or hard or soft/smooth to provide grip.

5. TPU is obtained from the reaction of polyols (polyester or polyether or polycaprolactone based or a combination of these), diisocyanates and short-chain diols. Additives can be added to these to achieve special properties. By combining all the elements, a wide range of hardness and mechanical properties can be achieved. PUC is offered by the applicant in different grades. However, these different grades are different merely in terms of properties, which can be achieved through control on process parameters and use of specific additives. All these grades remain the same as one article.

6. The product scope covers polyester-based TPU as well as polyether-based TPU, and polycaprolactone-based TPU is specifically excluded from the scope of product.

7. The product under consideration is used in a wide variety of applications including automotive instrument panels, agriculture (animal ID tags), caster wheels, power tools, sporting goods, medical devices, tubes & hoses, belts and profiles industry, footwear, inflatable rafts, variety of extruded film, sheet and profile applications, outer cases of mobile electronic devices, keyboard protectors for laptops etc. TPU is also substituting rubber and PVC (Poly Vinyl Chloride) in premium motorcycle market as well as passenger car interiors.

8. The product under investigation is being imported under Custom Tariff Heading 39095000 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs tariff heading is indicative only and is not binding on scope of the product.”

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

18. The other interested parties have made the following submissions with respect to the domestic industry and standing:

- a. Rule 2(b) of the Rules provides that producers who are importers or related to exporters/importers shall be excluded from the definition of the domestic industry.

- b. The domestic industry is a related company of Covestro (Hong Kong) Ltd., and that the domestic industry has not disclosed the name of the related company in its petition.
- c. As per information available with Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd, the domestic industry has imported *** MT of TPU constituting ***% of the total imports during the POI. The domestic industry has continued importing the subject goods even post-POI.
- d. As per para 4.9.20 (v) of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, a specific reference is to be made by the Authority in the initiation notification on the issue of imports of the subject goods by the domestic industry.

D.2. Submissions made by the domestic industry

19. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:
 - a. Covestro (India) Pvt. Ltd. is the sole producer of the subject goods in India during the injury period and constitutes 100% of the production of the subject goods in India.
 - b. The domestic industry has imported small quantities of the subject goods from its related companies in China PR and other non-subject countries. The domestic industry has imported certain specific grades of the PUC from China PR for testing purposes and to meet some urgent demand. Imports of the subject goods from China PR by the domestic industry during the POI is in the range of 0-0.15% in relation to (i) imports from China PR or (ii) imports from all countries or (iii) Indian demand.
 - c. The Authority can decide if a domestic producer related to a foreign producer/exporter or importer of dumped goods, or who imports the goods themselves, qualifies as an eligible domestic producer under Rule 2(b). This determination is not automatic and is made on a case-by-case basis, considering all relevant legal and economic factors.
 - d. The facts and circumstances considered by the Authority while exercising its discretion have been noted in many investigations conducted by the Authority in the past. The Authority has consistently observed that mere relationship of the domestic producer with the producer/exporter in the subject country will not exclude such producer from the definition of the domestic industry.
 - e. In anti-dumping investigation concerning imports of *Soda Ash originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and US, final findings dated 17th February 2012*, the Authority observed that mere fact of relationship of a domestic producer with an importer or exporter or import by such a producer is insufficient to exclude such a producer from the scope of the domestic industry. The Authority is required to apply its mind so as to make objective determination of whether a domestic producer in such a situation should be considered as eligible or ineligible to be considered as a domestic industry. The Authority also held that the current AD Rules continue to grant such discretion to the Designated Authority to decide on the merits of the case to include or exclude such a domestic producer within/from the scope of “domestic industry”.
 - f. In anti-dumping investigation concerning imports of *Soda Ash originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA*, Nirma Ltd. and Saukem also had a related producer/exporter in USA, namely Searles Valley Minerals. The Authority observed in this anti-dumping investigation that exports by related foreign producer/exporter of domestic producers Nirma Ltd. and Saukem were not significant in comparison to total imports into India. The related foreign producer/exporter was not the major exporter of the concerned product. The focus of domestic producers Nirma Ltd. and Saukem was primarily on domestic production and not on trading of goods imported from its related foreign producer/exporter. Thus, Nirma Ltd. and Saukem were held to constitute eligible domestic industry under the Rules.
 - g. The Authority had enunciated the same principles in its final findings dated 17th May 2010 in anti-dumping investigation concerning imports of *Viscose Staple Fibre excluding Bamboo Fibre originating in or exported from China PR and Indonesia*. In this case, the domestic industry i.e. Grasim Industries Ltd. had related companies in Indonesia and China PR, namely, Birla Jingwai Fibres Company Limited, China PR and PT Indo Bharat Rayon, Indonesia, who were producing & exporting the subject goods to India. The Authority observed that exports by related companies from China PR and Indonesia to India were small and sporadic and significant dumping to India was practiced by other producers/exporters from China PR and Indonesia. Moreover, focus of Grasim Industries Ltd. continued on production and did not

shift to trading of goods imported from its related companies. Thus, Grasim Industries Ltd. was held to be an eligible domestic industry.

- h. In anti-dumping investigation concerning imports of *Circular Weaving Machines having six or more shuttles for weaving PP/HDPE Fabrics of a width exceeding 30 cms.*, originating in or exported from China PR, the Authority also observed that mere fact of relationship between domestic producer and producer/exporter in the subject country is insufficient to consider the domestic producer as ineligible domestic industry.
- i. In the case of *State of Gujarat Fertilizers and Chemicals Limited v. Government of India, (2012) 286 ELT 348*, the High Court examined the question of exclusion of an importer of the dumped article from the definition of the domestic industry under Rule 2(b). The Court observed that nearly 15% of total production of the company was imported by it and that too casually and to meet customer's demand during the time when the production was disrupted. This quantity was found from the facts to be very insignificant portion of the total import from the same exporting country. Thus, the concerned domestic producer was considered as eligible domestic industry and was not excluded from the definition of the domestic industry under Rule 2(b).
- j. In anti-dumping investigation concerning imports of *Soda Ash originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and US*, the Authority noted that it is neither the intent of the WTO Agreement nor of the AD Rules that a straight jacketed formula should be adopted while defining 'domestic industry' where an iota of import of subject goods from the subject country by a domestic producer be treated as sacrilege and thereby ineligible for the status of 'domestic industry'. The conduct of trade and business at times necessitates importation of goods by the domestic industries for either research purposes or to supplement their own production to meet emergent demand in the market or for any other justified reasons.
- k. When volume of exports by related foreign producer/exporter and/or imports by the domestic industry is small for *bona fide* reasons and essential business of the domestic producer as a producer of subject goods is not in doubt, the domestic producer cannot be excluded from the definition of the domestic industry on the ground that the domestic producer is related to the foreign producer/exporter and/or is an importer of concerned product in terms of Rule 2(b).
- l. In the present case, the domestic industry has imported small quantities of the subject goods from its related companies in China PR and other non-subject countries. The domestic industry has imported certain specific grades of the PUC from China PR for testing purposes and to meet some urgent demand. The imports of the subject goods from China PR by the domestic industry during the POI is *** MT, which is in the range of 0-0.15% in relation to (i) imports from China PR (ii) imports from all countries and (iii) Indian demand. Thus, the imports by the domestic industry are insignificant. The domestic industry has also disclosed that its related company has not supplied to any other entity in India.
- m. Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd claimed that the domestic industry imported *** MT of the subject goods but did not provide supporting details or import data to substantiate its claim. It is unclear how Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd obtained this confidential exporter or importer-specific data. The domestic industry submits that Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd.'s claim is factually incorrect and requests that the Authority may verify the claim using official import data from DG System.
- n. The domestic industry has disclosed information about imports from its related entities in both the subject country and non-subject countries, including Covestro (Hong Kong) Ltd.
- o. The domestic industry has submitted that none of the key managerial personnel of Covestro (India) Pvt Ltd hold any managerial position in the related party in China PR exporting the subject goods to India. Further, key managerial personnel of related producer/exporter in China PR also do not hold any managerial position in the applicant company.

D.3. Examination by the Authority

20. Rule 2 (b) of the Rules defines the "domestic industry" as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

21. The application in the present case has been filed by Covestro (India) Pvt. Ltd. and the applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India. None of the interested parties have claimed existence of any other domestic producers in India. Thus, the Authority concludes that the applicant is the sole

producer of the subject goods in India during the injury period and constitutes 100% of the production of subject goods in India.

22. It is noted that the applicant has one related producer of the subject goods in the subject country and is not related to any importer of the PUC in India. The Authority also notes that the applicant has imported the subject goods from its related producer in the subject country during the POI as admitted in the application. In this regard, the Authority has also noted in its initiation notification as below:

“13. The application has been filed by Covestro (India) Pvt Ltd. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India constituting 100% of the Indian production and therefore, has the requisite standing to file the present application.

14. As per the information submitted by the applicant, it has imported the subject goods from related producer/exporter in China PR. Considering the volume of such imports is not significant, the Authority notes, after due examination, that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria in terms of Rule 5(3) of the Rules.”

23. The Authority notes that the mere fact of relationship of a domestic producer with a foreign producer/exporter or importer or import by such domestic producer does not automatically lead to exclusion of such domestic producer from the scope of the domestic industry. Under Rule 2(b), the use of the word ‘may’ clearly indicate that the Authority has discretion to decide whether the domestic producer, who is related to the producers/exporters in the subject country or importer in India or has itself imported the subject goods, is eligible to be considered as domestic industry or not. The Authority is required to exercise its discretion after considering all the facts and circumstances so as to make objective determination of whether the concerned domestic producer should be considered as eligible or ineligible domestic industry under Rule 2(b).
24. The Authority considered the arguments of some of the interested parties regarding the relationship of the applicant with producer/exporter in China PR and Hong Kong and imports made by the applicant from its related entities in China PR and Hong Kong.
25. The examination of imports shows that the applicant has imported *** MT of the subject goods from Covestro (Hong Kong) Limited which is related trader in Hongkong exporting the TPU produced by its related producer/exporter in China PR during the POI, which accounts for 0-0.1% of the total demand and 0-0.1% of the total imports into India. Thus, the imports of the subject goods by the applicant are not significant so as to disentitle the applicant from being treated as domestic industry.
26. The claim submitted by Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd does not have the description of the product imported and hence does not substantiate the claim of import of the PUC by the domestic industry. Further analysis of DG System data shows that the domestic industry has imported raw material and other non- PUC from related entities in China PR and Hong Kong.
27. The Authority notes following facts and circumstances regarding relationship of the applicant with producers/exporters in China PR and imports by the applicant from its related entities in China PR:
- None of the opposing interested parties have advanced any justification for exclusion of Covestro (India) Pvt. Ltd. from the scope of the domestic industry, barring the fact of imports and relationship with foreign producer/exporter itself.
 - Related entities of Covestro (India) Pvt Ltd. in China PR have only exported small quantities of the PUC to India to Covestro (India) Pvt Ltd. and not to any other entity in India.
 - Exports by the related entities of Covestro (India) Pvt Ltd. during the POI are insignificant when compared with total imports into India from China PR. As per the DG System data, exports by related entities in China PR of Covestro (India) Pvt Ltd. during the POI are mainly non-PUC and raw materials.
 - The volume of exports by related entities in China PR to India during the POI is not significant so as to cause injury to the domestic industry in India.
 - Covestro (India) Pvt Ltd. continues to focus on production of the subject goods in India. Relationship of Covestro (India) Pvt Ltd. with producers/exporters in China PR has not affected its behaviour and business as domestic producer of PUC in India.
 - The key managerial personnel of Covestro (India) Pvt Ltd do not hold any managerial position in the related party in China PR exporting the subject goods to India and key managerial personnel of related producer/exporter in China PR also do not hold any managerial position in the applicant company.
28. Therefore, considering the information on record, the Authority holds the applicant/petitioner- Covestro (India) Pvt. Ltd. as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY**E.1. Submissions made by the other interested parties**

29. The other interested parties have not made any submissions with regard to the confidentiality.

E.2. Submissions made by the domestic industry

30. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the confidentiality:

a. BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd (BAPS):

- i. Company has not disclosed the information regarding owner/principal shareholder list and their affiliations.
- ii. Company has not disclosed its marketing/distribution channel details for domestic and export sales to India. (Exhibit B-3)
- iii. Company has not disclosed the details of adjustments claimed for determining normal value and export price.
- iv. Company has not disclosed manufacturing process in Exhibit G-1.
- v. Company has not disclosed raw material names.

b. BASF Hong Kong Ltd (BHKL):

- vi. Company has not disclosed the information regarding owner/principal shareholder list and their affiliations.
- vii. Company has not disclosed its marketing/distribution channel details for domestic and export sales to India.

c. BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd (BISL):

- viii. Company has not disclosed the information regarding owner/principal shareholder list and their affiliations.
- ix. Company has not disclosed manufacturing process in Exhibit G-1
- x. Company has not disclosed raw material names.

d. BASF International Trading (Shanghai) Co., Ltd (BITC):

- xi. Company has not disclosed the information regarding owner/principal shareholder list and their affiliations.

e. BASF India Limited (BIL):

- xii. Claiming Appendix 13 as confidential without proper indexing.

f. Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd. (Huaфон):

- xiii. Company has not disclosed the information regarding owner/principal shareholder list and their affiliations (Exhibit A-2).
- xiv. Company has not disclosed manufacturing process in Exhibit G-1
- xv. Company has not disclosed raw material names in Appendix-6.

31. The Authority should treat BASF Group and Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd as a non-cooperative party due to the excessive confidentiality claims and incomplete information provided in their questionnaire responses.

E.3. Examination by the Authority

32. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties for inspection through e-mail communication between various parties.

33. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules, 1995 provides as follows:

“(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”

34. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS

F.1. Submissions made by the other interested parties

35. The other interested parties have made the following submissions with respect to the miscellaneous issues:
- a. Government of India is in the process of implementing mandatory standard certification requirement on “polyurethanes” vide notification dated 6th March 2024. The same will be effective from 19th September 2024. This will create a non-tariff barrier and consequently affect imports of TPU into India.
 - b. That IS 17397 (Part 1): 2020/ISO 16365-1:2014 is applicable to the subject goods whereby requiring all producers of the subject goods to mandatorily obtain certification as per conformity assessment schemes under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016. This, in effect, will increase the prices of the subject goods, thereby creating a demand-supply gap as it will affect the free flow of trade between the countries.

F.2. Submissions made by the domestic industry

36. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to the miscellaneous issues:
- a. Quality control order and anti-dumping duty are two different instruments with different objectives. If a product complies with the quality control order and is imported into India at dumped prices, anti-dumping duty can be recommended on such product. If a product is not in compliance with the quality control order, then such product cannot be imported into India even if such product is to be exported to India at un-dumped prices.
 - b. The Authority in its final findings dated April 2017 in anti-dumping investigation concerning imports of *Cold-Rolled flat products of alloy or non-alloy steel originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP and Ukraine* had observed that even if a quality control order exists, it does not lead to a conclusion that no dumping or injury can be caused to the domestic industry.
 - c. The quality control order on the PUC has not come into force till date. After the quality control order was issued on 13th September 2021, it was scheduled to be implemented on 12 March 2022. However, the

time for implementation has been extended several times as and when the scheduled implementation date is approaching.

Order No.	Date of notification	Prescribed date of entry into force
S.O. 3931(E) Principal Order	13 th September 2021	It shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days i.e., 12 th March 2022
S.O. 1277(E)	23 rd March 2022	It shall come into force on 19 th September 2022
S.O. 4141(E)	2 nd September 2022	It shall come into force on 19 th March 2023
S.O. 1238(E)	15 th March 2023	It shall come into force on 19 th March 2024
S.O. 1112(E)	6 th March 2024	It shall come into force on 19 th September 2024

- d. As per the recent notification on 6th March 2024, the time limit for implementation of quality control order has been once again extended till 19th September 2024. Thus, the time limit for implementation of quality control order has been repeatedly extended and it cannot be assumed that quality control order will be implemented on 19th September 2024.
- e. In any case, existence of quality control order is inconsequential and legally irrelevant consideration for the Authority in the present investigation while deciding whether the anti-dumping duty should be recommended by the Authority on the imports of the PUC into India.

F.3. Examination by the Authority

37. The Authority notes that quality control order and the Rules are two different instruments for different purposes. The purpose of quality control order is to ensure that product imported into India is of prescribed standard and specification. The Rules are framed to ensure that product imported into India is at un-dumped prices and is not causing injury to the domestic industry. Even if quality control order comes into force on the import of the PUC, it will not in any way curtail the right of the domestic industry to get protection in the form of anti-dumping duty on dumped imports into India.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Normal Value

38. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2. Submissions made by the other interested parties

39. The following submissions have been made by other interested parties with regard to normal value:
- a. China's Accession Protocol has expired on 11th December 2016. Zhejiang Huaфон TPU Co. Ltd, China has relied on relationship between Article 15(a) and 15(b) of the protocol in the Appellate Body report on the "Fastener case" initiated by China PR against the EU, which has provided strong justification for China PR to automatically obtain the market-economy status once the Article 15 of the Protocol expires.
 - b. After 11th December 2016, anti-dumping regulations cannot contain any provisions allowing for the establishment of the normal value for the Chinese exporting producers on a basis other than their domestic prices and costs.
 - c. India has no legal basis under the WTO Agreement to calculate normal value in anti-dumping investigation for products from China PR using the non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Agreement on Implementation of Article VI of the GATT.
 - d. The Authority may not use surrogate country methodology in calculating normal value, regardless of whether China PR is treated as a market economy due to the principle of *pacta sunt servanda*, Section 15 of China's Accession Protocol to WTO and Appellate Body Report on EC- Fasteners initiated by China PR.
 - e. China PR should not be treated as a non-market economy as per China's accession protocol to WTO, the same was also confirmed by the WTO Appellate Body in "EC-Fasteners". US and EU in their respective bilateral agreement with China PR had also noted about the expiry of non-market economy status after 15 years after China enters WTO.

G.3. Submissions made by the domestic industry

40. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value:
- a. China PR should be treated as a non-market economy country and normal value in case of the producers/exporters from China PR should be determined in accordance with para-7 read with para 8 (2) and (3) of Annexure I of the Rules. In terms of Para 8 in Annexure I to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.
 - b. Article 15 (d) of the Protocol, the provision of 15(a)(ii) has expired in December 2016 i.e., 15 years after China PR's accession to the WTO. However, Article 15(a)(i), which provides for presumption of non-market economy for China PR, is still in force. Hence, a valid presumption exists that China PR is a non-market economy country for anti-dumping investigations.
 - c. The Authority may note that none of the responding exporters have claimed market economy treatment by filing applicable questionnaire replies and, in this context, determination of normal value based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules is very essential.

G.4. Examination by the Authority

41. The Authority had sent questionnaire to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. Following producers/exporters have co-operated in the investigation by filing the prescribed questionnaire responses:
- i. BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd.
 - ii. BASF International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
 - iii. BASF Hong Kong Limited
 - iv. BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd.
 - v. Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd.
 - vi. Miracll Chemicals Co. Ltd.

G.4.1 Normal value and export price for China PR**Market economy status for Chinese producers**

42. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

43. It is noted that while the provision contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the WTO Agreement on Anti-Dumping read with the obligation under Article 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of Annexure I to the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire upon claiming market economy status.

44. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from China PR has been determined as below.

a) Determination of normal value for China PR

45. As none of the producers from China PR have filed the supplementary questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 of Annexure I of the Rules provides as follows:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines ds not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such

country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment *vid compensation of debts*; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

46. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under para 7 of Annexure-I.
47. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information with regard to domestic price, constructed value or export price of the product in an appropriate market economy third country. The Authority notes that it is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested parties. Since neither the applicant nor the other interested parties have provided any verifiable information, the normal value could not be determined on this basis.
48. In the absence of sufficient information on record regarding the other methods enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on “any other reasonable basis”.
49. The Authority has therefore constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The constructed normal value so determined for Chinese producers/exporters is mentioned in the dumping margin table below.

G.5. Export Price

G.6. Submissions made by the other interested parties

50. The following submissions have been made by other interested parties with regard to determination of export price:
 - a. If the Authority decides to recommend imposition of anti-dumping duty on the import of subject goods, the Authority should determine individual rate of anti-dumping duty for the cooperating producers/exporters.

G.7. Submissions made by the domestic industry

51. The following submissions have made by the domestic industry with regard to determination of export price:
 - a. BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd (BAPS) has provided incomplete information on company affiliations and related activities.

- b. BAPS has not provided purchase prices from independent parties for raw materials/utilities.
- c. BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd. (BISL) has provided incomplete information on affiliations and related activities.
- d. BASF Hong Kong Ltd (BHKL) has provided incomplete information on company affiliations and related activities.
- e. BHKL being a trader failed to provide Appendix-5 of questionnaire response.
- f. BHKL has omitted the details of adjustments claimed for determining normal value and export price.
- g. BASF International Trading (Shanghai) Co., Ltd.(BITC) has not furnished the information regarding owner/principal shareholder list and their affiliations.
- h. BASF International Trading (Shanghai) Co., Ltd. has provided incomplete information on company affiliations and related activities.
- i. BASF International Trading (Shanghai) Co., Ltd. being a trader failed to provide Appendix-5 of questionnaire response.
- j. BASF India Ltd. (BIL) has provided incomplete disclosure of distribution channels for sales in India.
- k. BIL has not complied with Trade Notice 06/2021 formats.
- l. BIL has failed to disclose the impact of duties on costs and prices of the downstream product.
- m. Zhejiang Huaфон TPU Co Ltd has provided incomplete information on company affiliations, including:
 - Details of parent companies, subsidiaries, and related companies with contact information.
 - Activities of each related company.
 - Details of related companies involved in PUC or supplying raw materials/utilities.
- n. Zhejiang Huaфон TPU Co Ltd has provided contradictory information regarding the number of plants involved in the production of PUC. Huaфон claimed one plant in Question 1 of Section G, but Appendix-7 indicates existence of two plants.
- o. Zhejiang Huaфон TPU Co Ltd stated that all materials are purchased but Appendix-7 suggests the use of captive inputs.
- p. Zhejiang Huaфон TPU Co Ltd has not provided purchase prices from independent parties for raw materials/utilities and there is lack of evidence to justify transfer prices.

G.8. Examination by the Authority

52. Following producers and exporters from China PR have participated and filed questionnaire response. The Authority has undertaken the desk verification and examined the claims made by the producers/exporters and the domestic industry. The Authority notes that majority of the submissions made by the domestic industry are pertaining to non-disclosure of related party affiliations in the non-confidential version and relating to cost of production of Chinese producers/exporters. The Authority has examined these claims and notes the non-confidential version submitted the Chinese producers/exporters is in line with the trade notice issued by the Authority. The responses by participating producers/exporters have been examined further in detail as under:

i. Miracll Chemicals Co. Ltd.

53. From the response filed by Miracll Chemicals Co. Ltd (“Miracll”), the Authority notes that Miracll has exported the subject goods to India during the POI directly to unrelated Indian customers. It is noted that Miracll has exported the *** MT of subject goods to India. Miracll has claimed adjustments of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, and credit cost and the same has been considered by the Authority. The ex-factory export price for Miracll as determined is given in the dumping margin table below.

ii. BASF Group- BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd. (producer/exporter), BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd. (related producer), BASF Hong Kong Ltd. (related exporter) and BASF India Ltd. (related importer)

54. BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd. (BAPS) has exported *** MT of subject goods during the POI to its related exporter BASF Hong Kong Ltd. (BHKL), who has exported the same to its related Indian customer BASF India Ltd. (BIL). The related Indian customer sold the same to unrelated Indian customers. All the three companies engaged in the exports to India sales channel i.e., BAPS, BHKL and BIL filed the complete questionnaire response and cooperated with the investigation. The ex-factory export price determined has been given in the dumping margin table.

55. It has been noted that BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd. (BISL), which is a related producer of BAPS has started production of subject goods after the end of POI.

iii. Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd.

56. From the response filed by Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd (“Huaфон”), Authority notes that Huaфон has exported the subject goods to India during the POI directly to unrelated Indian customers. It is noted that Huaфон has exported *** MT of subject goods to India. Huaфон has claimed adjustments of ocean freight, insurance, inland freight, credit cost and bank charges and the same has been considered by the Authority. The ex-factory export price for Huaфон as determined is given in the dumping margin table below.

Export Price for non-cooperating producers/exporters

57. For all other producers/ exporters from China PR, export price has been determined based on facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping Margin

58. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

Dumping margin table

Producer's/ exporter's name	Normal value (Rs/Kg)	Net export price (Rs/Kg)	Dumping margin (Rs/Kg)	Dumping margin (%)	Dumping margin (%) range)
Miracll Chemicals Co. Ltd	***	***	***	***	40-50%
BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd	***	***	***	***	Negative
Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60%
All others	***	***	***	***	80-90%

The Authority notes that significant dumping margin exist for all the exporters/producers from China PR except BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd.

H. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the other interested parties

59. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury:

- a. The import data filed by the domestic industry is incorrect, therefore, examination of volume effect and price effect may not provide a true picture.
- b. The imports from China PR have not caused any injury to the domestic industry during the injury investigation period. The imports from China PR have moved in tandem with the increase in demand.
- c. The capacity of the domestic industry is ***MT whereas the demand of TPU in India is approx. 20,000 MT. The domestic industry being the sole producer of the subject goods in India can meet only 25-30% of the Indian demand. Imports have come only to fill the demand and supply gap of the subject goods in India and not to cause injury to the domestic industry.
- d. Price undercutting is 35-45% which means the domestic industry is selling the goods at a price about 35-45% higher than the landed value. Similarly, injury margin is 40-50% which shows that non-injurious price (“NIP”) and net sales realization (“NSR”) is almost similar. Thus, the domestic industry is already selling its goods at a non-injurious price.
- e. During the year 2020-21, when the price undercutting was highest as 45-55%, profitability of domestic

industry was highest which shows no correlation between higher levels of price undercutting and profitability.

- f. The capacity of the domestic industry remained unchanged throughout the injury period and the period of investigation. Production and capacity utilization of the domestic industry have decreased by 7% respectively.
 - g. The domestic sales of the domestic industry have declined during the POI from 100 to 85 as compared to the base year 2019-20, whereas export sales have increased tremendously by 229% during the POI as compared to the base year 2019-20 which shows that the domestic industry is focusing on exports rather than domestic sales by choice and not by chance.
 - h. The trend of inventory is showing decline which clearly depicts that the domestic industry was able to sell whatever it was producing.
 - i. PBDIT and cash profits have increased during the POI by 10% and 9% respectively. Due to outbreak of COVID 19 pandemic, Chinese producers were inoperative or partially operative and therefore, could not supply the goods at the commercial quantities as would have supplied in the normal circumstance. This affected the level of competition in the industry. Therefore, this situation may not be considered by the Authority while examining the injury.
 - j. The number of employees has slightly increased from 100 during the base year 2019-20 to 101 during the period of investigation. However, salaries and wages have declined from 100 during the base year 2019-20 to 61 during the period of investigation. The domestic industry has manipulated the data to deliberately fabricate the injury.
 - k. There is 7% decline in both productivity per day and production quantity from 2019-20 to the period of investigation (POI), despite a slight 1% increase in the number of employees and individual productivity per employee. This indicates that overall output has decreased, potentially due to operational inefficiencies or other challenges, rather than employee performance. Additionally, the decline in salaries and wages during this period of inflation is concerning and suggests potential issues with wage policies or financial constraints within the organization.
 - l. The domestic industry faced a 7% decline in both production quantity and capacity utilization, despite stable employee productivity and a slight increase in employee numbers. Inventory levels declined showing effective demand management. However, the dramatic 39% drop in salaries and wages during an inflationary period suggests possible data manipulation. Overall, the reported financial injury may not accurately reflect the true economic conditions and performance of the domestic industry.
- Director General should adopt ROCE earned by the industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22% ROCE.
- m. The Authority must make an appropriate assessment of the injury caused to the domestic industry by the other known factors, and they must separate and distinguish the injurious effects of the dumped imports from the injurious effects of those other factors. Such reasons include internal problems, depressed market conditions globally, fluctuations in the price of raw materials, impact of the pandemic COVID-19, Russia Ukraine War, shutdown of the plant etc.
 - n. The domestic industry has suffered injury on account of its high depreciation and finance cost.

H.2. Submissions made by the domestic industry

60. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury:

- a. The domestic industry has filed the petition with the import data available with it as per market intelligence. The Authority has already considered the transaction wise import data from DGCI&S at the time of initiation of the subject investigation.
- b. The Authority may consider the import data from DGCI&S and DG System for volume and price effect. The requisite information has already been filed with the Authority demonstrating the volume and price effect due to the dumping of the subject goods from China PR.
- c. Demand-supply gap is not relevant for determining the need for imposition of anti-dumping duty. In *DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority*, CESTAT rejected the contention of the appellant that anti-dumping duty should not be recommended because the domestic industry was the only domestic industry manufacturing EPDM and it could not meet the requirements of the domestic market. The appellant also

contended that the imports were only filling the demand supply gap. The CESTAT with regard to demand-supply gap observed that if the exporters wanted to supply the goods to meet the requirement in Indian market, the same could be done by exporting the requirements at a price equivalent to normal value but not at a dumped value and to capture the market.

- d. The Authority has consistently held that demand supply gap is not a justification for dumping, and even if there is a demand supply gap, it is necessary that the subject goods are available at fair prices.
- e. The Authority in following final findings has also observed that demand-supply gap cannot be a valid justification for dumped imports:
 - i. *Anti-dumping investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore – final findings dated 13th February 2003*
 - ii. *Anti-dumping investigation concerning imports of Aceto Acetyl Derivatives of aromatic or heterocyclic compounds also known as Arylides from China PR - final findings dated 19th August 2021*
 - iii. *Anti-dumping investigations on the imports of Self-Adhesive Vinyl (SAV) originating in or exported from China PR – final findings dated 28th December 2023*
 - iv. *Anti-dumping investigation concerning imports of Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade originating in or exported from China PR – final findings dated 8th June 2021*
 - v. *Sunset Review Investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand – final findings dated 29th July 2022*
- f. There is no legal mandate for comparison of NIP with NSR under the Rules. In this regard, the Authority in its final findings dated 17th February 2012 in anti-dumping investigation concerning import of *Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA*, had observed that there is no legal provision that the Authority should compare the non-injurious price with net sales realization in order to determine the price effect.
- g. CESTAT in its order dated 6th September 2016 in *All India Glass Manufacturers Federation v. Designated Authority*, observed that there is no legal provision to mandate the Authority for comparing NIP with NSR in order to determine the price effect.
- h. Even if NSR is higher than NIP, it is not relevant to conclude that the domestic industry is not suffering adverse price impact or material injury.
- i. Information provided by the domestic industry in the petition and in the written submission filed pursuant to the oral hearing clearly shows that it is suffering from material injury. The Authority has noted *prima facie* injury being caused to the domestic industry in the initiation notification.
- j. Grant of 22% return on capital employed is the consistent practice of the Authority. This issue has been settled by various judgments of the CESTAT. CESTAT in *Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority*, Final Order No. AD/A/53541/2015-CU[DB] dated 27th November 2015 had permitted the 22% rate of return on capital employed as standard practice. CESTAT had reaffirmed the same principle in *Eximcorp India Pvt. Ltd. v. Designated Authority*, final order No. AD/A/53462/2016-CU[DB] dated 12th September 2016.
- k. Huaфон has not indicated any specific reasons which may have contributed to the injury to the domestic industry except dumped imports from China PR. It is not sufficient to merely list out generic possibilities and geo-political events for doubting the existence of causal link between imports and injury to the domestic industry.

H.3. Examination by the Authority

61. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “..... *taking into account all the relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.


62. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II to the Rules.
63. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury. The submissions made by interested parties with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.
64. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, determines whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand

65. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below-

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	68	85
Imports from China PR	MT	5,056	7,795	9,773	13,780
Trend	Indexed	100	154	193	273
Imports from other countries	MT	1,356	2,566	2,738	1,265
Trend	Indexed	100	189	202	93
Total Demand	MT	***	***	***	***
Total Demand	Indexed	100	141	143	173



66. Following points have been observed by the Authority from the above table :

- The demand during the injury investigation period has increased consistently. Demand of the subject goods has increased by 73 % in the POI as compared to 2019-20.

- The imports from the subject country has increased by 173 % and that from non-subject countries has decreased by 7%
- The domestic sales of the domestic industry have decreased by 15%.
- Imports from the subject country have captured the increase in demand.

b) Import volume and share of the subject country

67. The effect of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	Imports from China PR	MT	5,056	7,795	9,773	13,780
		Indexed	100	154	193	273
2.	Total imports	MT	6,412	10,361	12,511	15,045
		Indexed	100	162	195	235
3.	Indian production	MT	***	***	***	***
		Indexed	100	102	89	93
4.	Demand	MT	***	***	***	***
		Indexed	100	141	143	173
5.	Subject country imports in relation to					
a.	Total imports	%	***	***	***	***
		Indexed	100	95	99	116
b.	Indian Production	%	***	***	***	***
		Indexed	100	151	218	292
c.	Demand	%	***	***	***	***
		Indexed	100	110	135	158

68. The Authority notes as follows:

- Imports from the subject country in absolute terms have increased from 5,056 MT in 2019-20 to 13,780 MT in the POI. In indexed terms, imports from the subject country have increased by 173 % in the POI when compared to 2019-20.
- Indian production has remained stable and has slightly decreased in the POI whereas the Indian demand has increased by 73% in the POI as compared with 2019-20.
- Imports from the subject country in relation to total imports have increased by 16% in the POI when compared to 2019-20.
- Imports from the subject country in relation to Indian production have increased by 192 % in the POI when compared to 2019-20.
- Imports from the subject country in relation to demand have increased by 58% in the POI when compared to 2019-20.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

69. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

70. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization

(NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

a) Price undercutting

71. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the injury period.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Landed Price	Rs/Kg	189	181	279	262
	Index	100	96	147	138
Net Sales Realisation	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	116	150	151
Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	202	163	207
Price Undercutting	%	***	***	***	***
	Range	20-30%	45-55%	35-45%	45-55%

72. It is seen that the landed price from the subject country has been below the selling price of the domestic industry, thus undercutting the domestic prices.

b) Price suppression / depression

73. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress domestic prices to a significant degree or prevent increases in domestic prices which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	108	148	154
Net Sales Realisation	Rs/Kg	***	***	***	***
	Index	100	116	150	151
Landed Price	Rs/Kg	189	181	279	262
	Index	100	96	147	138

74. The Authority notes that the landed price of imports from the subject country during the injury investigation period is well below the cost of sales and selling price of the domestic industry. This is creating significant price depression/suppression effect on the domestic industry.

75. The cost of sales increased from 100 index point in 2019-20 to 154 index point in the POI and the net sales realisation also increased from 100 index in 2019-20 to 151 index points in the POI, whereas the landed price has increased by 38 index points in POI when compared to 2019-20. This shows that the import prices from China PR are not allowing the domestic industry to fully recover the increase in cost of sales.

H.3.3. Economic parameters pertaining to the domestic industry

76. Annexure - II of the Rules lays down that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. The Rules further provide for an objective evaluation of all relevant economic parameters and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise

capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

77. The capacity, production, capacity utilization and domestic sales over the injury period are as under:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Production (PUC)	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	102	89	93
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Indexed	100	102	89	93
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	111	68	85

78. The Authority notes as follows:

- a) Both production and capacity utilisation have reduced from 100 indexed points in 2019-20 to 93 indexed points in POI despite significant increase in demand during the same period.
- b) Domestic sales have reduced from 100 indexed points in 2019-20 to 85 indexed points in POI despite significant increase in demand during the same period.
- c) Capacity utilisation of ***% during the POI is low considering the fact that the demand in India has been growing and the domestic industry has achieved a higher capacity utilisation in 2019-20 and 2020-21. The domestic industry has claimed that it can achieve 100% capacity utilisation except for the presence of dumped imports from China PR.

b) Market Share

79. Information with respect to market share over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Imports from China PR	MT	5,056	7,795	9,773	13,780
	Indexed	100	154	193	273
Imports from other countries	MT	1,356	2,566	2,738	1,265
	Indexed	100	189	202	93
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	111	68	85
Total demand	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	141	143	173
Market share of domestic industry	%	***	***	***	***
	Indexed	100	79	48	49
Market share of imports from China PR	%	***	***	***	***
	Indexed	100	110	135	158

80. The Authority notes as follows:

- a) Domestic sales of the domestic industry have reduced from 100 indexed points in 2019-20 to 85 indexed points in POI.
- b) Market share of imports from the subject country has increased from 100 indexed points in 2019-20 to 158 indexed points in POI.
- c) Market share of the domestic industry has drastically reduced from 100 indexed points in 2019-20 to 49 indexed points in the POI.
- d) Demand of the PUC increased by 73% in the POI as compared to 2019-20. However, the market share of the domestic industry decreased by 51% in the POI as compared to 2019-20 and the market share of imports from the subject country increased by 58% in the POI as compared to 2019-20.
- e) Entire increase in demand during the injury investigation period was captured by the imports from China PR.
- f) The import from other countries have decreased by 7% in POI as compared to 2019-20 and this portion has also been captured by the imports from China PR.

c) Profitability, cash profits and return on investments

81. Information with respect to profitability, return on investment and cash profits during the injury period is as under:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Profit before tax	Rs/Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	248	193	102
	Rs Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	275	132	86
Profit before interest & tax	Rs/Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	236	180	107
	Rs Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	261	123	90
Cash profit	Rs/Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	189	175	135
	Rs Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	210	120	114
Return on capital employed	%	***	***	***	***
	Indexed	100	145	95	79
Average inventory	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	70	68	80

82. The Authority notes as follows:

- a) Both profitability and return on capital employed of the domestic industry increased in 2020-21 as the domestic industry got a big order from Government of India and thereafter, it has reduced consistently when compared with 2019-20 as well as when compared with 2020-21.
- b) Profit before tax has reduced by 14% in the POI as compared to 2019-20.

- c) Profit before interest and tax has reduced by 10% in the POI as compared to 2019-20.
- d) Return on capital employed has reduced by 21 % in the POI when compared to 2019-20.

d) Inventory

83. Information with respect to inventory over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	70	68	80

84. The Authority notes that inventory of the domestic industry has declined till 2021-22 and has again increased in the POI as compared to the previous year.

e) Productivity, employment and wages

85. Information with respect to productivity, employment and wages over the injury period is as under:

SN	Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	Productivity per day	MT	***	***	***	***
		Indexed	100	102	89	93
2	Productivity per employee	MT	***	***	***	***
		Indexed	100	101	89	92
3	No of employees	Nos.	***	***	***	***
		Indexed	100	101	100	101

86. The Authority notes that productivity of the domestic industry has reduced over the injury investigation period.

f) Growth

87. Information with respect to year-by-year growth over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	POI
Capacity	%	0%	0%	0%
Production	%	2%	-13%	5%
Capacity Utilisation	%	2%	-13%	5%
Domestic Sales	%	11%	-38%	24%
PBT (Per Kg)	%	148%	-22%	-47%
Cash Profit (per Kg)	%	89%	-7%	-23%
ROI	%	45%	-35%	-16%

88. The Authority notes that the domestic industry has witnessed negative growth year by year in terms of profit, cash profit and ROI.

g) Factors affecting domestic prices

89. The examination of the import price from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and cost of sales of the domestic industry, thereby causing price undercutting and price depression/suppression. The demand for the subject goods increased over the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices.

h) Ability to raise capital investments

90. The domestic industry has submitted that in view of increasing demand, domestic industry has also made a request/application to the concerned authorities for increase in capacity by *** MT. The approval is under process. However, if the dumping continues at this rampant pace, it may not be viable for the domestic industry to increase its capacity.

i) Magnitude of dumping margin

91. It is seen that the dumping margin is above *de minimis and significant*.

H.4. THREAT OF MATERIAL INJURY**H.4.1. Submissions made by the other interested parties**

92. The other interested parties have not made the submissions with regard to threat of injury.

H.4.2. Submissions made by the domestic industry

93. The domestic industry has made the following submissions with regard to threat of injury:

- a. The dumped imports have increased significantly from 5,159 MT in 2019-20 to 13,097 MT in the POI. Furthermore, imports from China PR have increased during the post-POI period as can be seen from the table below:

Imports	Unit	Apr'23-Jun' 23	July'23- Sep'23	Oct' 23-Dec'23
China PR	MT	3,314	2,486	3,988

- b. The domestic industry submits that during the quarter of Oct' 23- Dec' 23, imports from China PR were to the tune of 3,988 MT whereas during 2019-20, imports during the whole year were 5,159 MT. It can be seen that this increase is significant as the volume of imports earlier in the entire year are now being imported in just a single quarter.
- c. The import price of subject goods from China PR has declined significantly during the post-POI period as shown in the table below:

Imports	Unit	2021-22	POI	Apr'23- Jun' 23	July'23- Sep'23	Oct' 23-Dec'23
China (CIF price)	Rs/Kg	257	243	190	187	161

- d. The import price of the subject goods from China PR has further declined to 190 Rs/Kg during April-June 2023, 187 Rs/Kg during July-September 2023 and 161 Rs/Kg during October-December 2023 as compared to 243 Rs/Kg during the POI. Thus, price undercutting, price underselling, price suppression and depression in the post- POI period has intensified further. This is creating a threat of further aggravated injury to the domestic industry.
- e. As per the market intelligence of the domestic industry, there has been significant capacity addition for TPU production in China PR. This fact can also be corroborated by the questionnaire response filed by some of the participating producers/exporters from China PR.
- f. The capacity of Miracll has increased from 100 indexed points in 2019-20 to 149 indexed points in the POI. Thus, there is a significant capacity addition of 50% by Miracll.
- g. Further, it can be seen that the export sales to India of Miracll have increased significantly from 100 indexed points in 2019-20 to 262 indexed points in the POI. However, their domestic sales have only

increased from 100 indexed points in 2019-20 to 116 indexed points in POI. It is clear that the domestic demand in China PR is not increasing at the same pace as the capacity addition done by Miracll and there is a likelihood that the exports to India would further intensify if anti-dumping measures are not put in place.

- h. Similarly, it can be seen that the export sales to India of Huaфон have increased significantly from 100 indexed points in 2019-20 to 226 indexed points in the POI. However, their domestic sales have only increased from 100 indexed points in 2019-20 to 143 indexed points in the POI.
- i. As per the information available in the public domain, it is understood that the capacity of Huaфон is 80,000 MT which is more than 4 times the Indian demand of the subject goods. Thus, it is clear that there is a likelihood that the exports to India would further intensify if anti-dumping measures are not put in place.

H.4.3. Examination by the Authority

94. Para. (vii) of Annexure II of the Rules provides as follows:

(vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

(d) inventories of the article being investigated.

95. The Authority notes that for assessment of threat of material injury, the Authority can consider factors such as rate of increase of dumped imports into India, disposable capacity in subject country, increase in capacity in the subject country, trend of import prices from the subject country, inventory of PUC with producers/exporters in the subject country. The Authority notes that it can also examine any other factor in addition to the above factors for assessment of threat of material injury to the domestic industry.

a) Significant rate of increase of imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation

96. The Authority notes that the imports from China PR have increased significantly from 5,056 MT to 13,780 MT in the POI.

Imports	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
China PR	MT	5,056	7,795	9,773	13,780
	Index	100	154	193	273
Demand	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	141	143	173

97. The Authority notes that imports from China PR have increased consistently during the injury investigation period. Imports from China PR increased by more than 2.5 times in the POI as compared to 2019-20. Further, the examination of the Authority is restricted to the POI only.

98. The Authority also notes that rate of increase in imports is significantly higher than the rate of increase in demand during the injury investigation period.

b) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports

99. Capacity of producers/exporters from China PR is higher than the domestic demand in China PR.

100. Capacity, Capacity utilisation and export sales to India of cooperating producers/exporters is as follows:

Particulars	Unit	2020	2021	2022	POI
Miracll Chemicals Co. Ltd					
Capacity	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	137	149	149
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Indexed	100	100	80	81
Export Sales to India	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	178	231	261
Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd.					
Capacity	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Indexed	100	148	179	184
Export Sales to India	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	70	195	226
BASF					
Capacity	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	106	89	88
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Indexed	100	124	111	101
Export Sales to India	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	209	167	170

101. The Authority notes that capacity of Miracll has increased from 100 indexed points in 2020 to 149 indexed points in the POI.

102. The Authority notes that producers/exporters in China PR have sufficient freely disposable capacity which can be put to use for increasing exports to India.

103. The Authority notes that export sales to India of Huaфон have increased significantly from 100 indexed points in 2020 to 226 indexed points in the POI.

104. The Authority also notes that as per available information, total capacity and freely disposable capacity of subject goods of one of the participating producers Huaфон in China PR is significantly higher than total Indian demand of subject goods.

105. Examination of capacity, capacity utilisation and export sales of cooperating producers and exporters from China PR shows that producers/exporters from China PR have increased their capacity for production of subject goods and/or have sufficient freely disposable capacity of subject goods and/or have increased their export sales to India during the injury investigation period.

106. Thus, the Authority concludes that there is sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporters indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets.

c) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports

107. The Authority notes that the landed price of imports from the subject country during the injury investigation period is well below the cost of sales and selling price of the domestic industry. This is creating significant price depression/suppression effect on the domestic industry.

108. As per the information submitted by the domestic industry, the landed price of imports from subject country has further reduced significantly during the post POI period causing further aggravated price suppression/depression.

H.5. CAUSAL LINK AND NON – ATTRIBUTION ANALYSIS

H.5.1. Submissions made by the other interested parties

109. The other interested parties have made the following submissions with regard to causal link:

- a. There is inefficient utilisation of total capacity by the domestic industry.
- b. Number of other crucial issues had an impact on the domestic industry independently from the imports from China PR. Such reasons include internal problems, depressed market conditions globally, subdued demand for company's product, and impact of the pandemic COVID-19, etc.

H.5.2. Submissions made by the domestic industry

110. The domestic industry has made following submission with regard to causal link:

- a. Imports from the subject country constitute majority of the total imports into India. Barring imports from the subject country, imports from other countries are either in low volumes and/or at higher prices. Therefore, imports from other countries cannot be a cause of injury to the domestic industry.
- b. Interested parties have not identified any other causes of injury to the domestic industry apart from the dumped imports coming from the subject country.

H.5.3. Non-Attribution Analysis

111. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and price of imports from third countries

112. The Authority notes that the imports of the product under consideration from non-subject countries are not in significant quantity. Also, the prices at which imports of the PUC were made from non-subject countries is significantly higher than prices of the subject country.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports price (CIF) China PR	Rs/Kg	175	167	258	242
Imports price (CIF) from other countries	Rs/Kg	263	229	303	453

b) Contraction of demand

113. There has been constant rise in demand of the product concerned throughout the injury period.

c) Export performance and captive consumption

114. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market.

d) Development of Technology

115. There has been no change in technology which can cause injury to the domestic industry.

e) Performance of other products of the company

116. The domestic industry has only considered information related to the PUC for the purpose of injury analysis.

f) Trade restrictive practices and competition between the Foreign and Domestic producers

117. There are no trade restrictive practices that can be considered as a reason for the material injury suffered by the domestic industry.

g) Changes in pattern of consumption

118. The pattern of consumption in India has not changed with respect to the PUC.

H.6. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

119. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the duly verified cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration has been allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.

120. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Injury Margin

Producer's/ exporter's name	NIP (Rs/Kg)	Landed value (Rs/Kg)	Injury margin (Rs/Kg)	Injury margin (%)	Injury margin (% Range)
Miracll Chemicals Co. Ltd	***	***	***	***	30-40%
BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd	***	***	***	***	Negative
Zhejiang Huafon TPU Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50%
All others	***	***	***	***	60-70%

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

I.1. Submissions made by other interested parties

121. The other interested parties have made the following submissions:

- a. Imposition of anti-dumping duty will increase their costs and a monopolistic situation will be created.
- b. Imposition of high anti-dumping duty as demanded by the applicant domestic industry will block all imports from China PR and the same will shift to other countries like Germany and other European countries.
- c. The capacity of the domestic industry is 6000 MT whereas the demand of TPU in India is approx. 20,000 MT. The domestic industry being the sole producer of the subject goods in India can meet only 25-30% of the Indian demand alone. Imports have come only to fill the demand and supply gap for the subject goods in India and not to cause injury to the domestic industry.

I.2. Submissions made by the domestic industry

122. The domestic industry has made following submissions with regard to public interest issues:

- a. None of the importers/users except BASF India in India have filed importers/users questionnaire response and/or provided any quantifiable impact of anti-dumping duty on them by filing economic interest questionnaire. This itself shows that the anti-dumping duty on PUC has no material bearing on their business.
- b. The domestic industry has provided calculation showing that the impact of imposition of anti-dumping duty on various user industries will be minimal.
- c. Anti-dumping duty will not create monopolistic situation because anti-dumping duty will not prohibit imports into India. Anti-dumping duty will ensure that imports into India are at fair prices and will provide level playing field to the domestic industry.
- d. Demand-supply gap is not relevant for determining the need for imposition of anti-dumping duty. In *DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority*, CESTAT rejected the contention of the appellant that anti-dumping duty should not be recommended because the domestic industry was the only domestic industry manufacturing EPDM and it could not meet the requirements of the domestic market. The appellant also contended that the imports were only filling the demand supply gap. The CESTAT with regard to demand-supply gap observed that if the exporters wanted to supply the goods to meet the requirement in Indian market, the same could be done by exporting the requirements at a price equivalent to normal value but not at a dumped value and to capture the market.
- e. The Authority has consistently held that demand supply gap is not a justification for dumping, and even if there is a demand supply gap, it is necessary that the subject goods are available at fair prices.

I.3. Examination by the Authority

123. The Authority issued a gazette notification inviting views on the subject anti-dumping investigation from all the interested parties, including importers, users and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the importers/users to provide relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the users etc. However, none of the importers/users have filed questionnaire response as requested by the Authority.

124. The Authority notes that the applicant is the sole producer of PUC in India during the injury investigation period. It is in the larger economic interest of the country that the sole domestic producer who has made investment in India for producing PUC continues to remain in operation to meet the demand of Indian users. With regard to the claim that imposition of anti-dumping duty can lead to monopoly of domestic industry, the Authority notes that there is no evidence on record to show that the imposition of anti-dumping duty will lead to creation of a monopoly in India. There have been several investigations where anti-dumping duty has been levied even though there was a single producer in the country and a single supplying country outside India.
125. With regard to the claim that there is demand-supply gap in India and imports are necessary, the Authority notes that existence of demand-supply gap cannot be the justification for dumping of the product into India. The Authority also notes that if there is a demand-supply gap in the country, the foreign producers can certainly fill the gap in the country by bringing the product at a fair price. The purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to address the issue of trade distortion caused by the unfair trade practices in order to re-establish the situation of open and fair competition. Anti-dumping duty does not restrict imports, but only ensures that the imports enter the market at fair prices. Thus, the users will continue to have the broader choice and liberty to import the subject goods at fair prices, which will ensure better competition in the market.
126. With regard to the issue of demand-supply gap, the Authority also notes that available capacity for the product in India with the applicant has also not been fully utilized during the POI as evident from the 71% capacity utilization by the domestic industry. Even though the present capacity is not sufficient to meet the current Indian demand, it was explained by the domestic industry that it can achieve much higher output from the current capacity itself if there was no dumping of subject goods from China PR. The domestic industry has submitted that in view of increasing demand, it has also made a request/application to the concerned authorities for increase in capacity by 2000 MT. The approval is under process. However, if the dumping continues at this rampant pace, it may not be viable for the domestic industry to increase its capacity. The Authority also acknowledges the submission that the sole applicant domestic producer cannot be expected to enhance capacity in a situation when its existing capacity is not fully utilized due to dumped imports coming into India from China PR.
127. The Authority notes that due to presence of dumped imports from China PR, the domestic industry is unable to supply to the growing market demand of PUC, which is substantially driven by use of PUC in mobile cover and sole manufacturing for footwear. The domestic industry has also submitted that if dumping is not remedied by imposition of anti-dumping duty, it can even lead to stoppage of production and shut down of existing production capacity. If that happens, producers/exporters from China PR would have the monopoly over the market in India and end users would be dependent only on China PR for supply of PUC. It would increase the dependency on China PR and would be a threat to end user industry.
128. With regard to the adverse impact of anti-dumping duty on user industry of mobile covers and sole manufacturer for footwear, the Authority notes that information provided by the domestic industry shows the impact of anti-dumping duty on import of PUC would be in the range of 0.01-2% on downstream products including mobile covers and footwear. However, none of these importers/users have provided quantification of impact of anti-dumping duty on PUC on their business. Authority is unable to rely on unsubstantiated claim made by interested parties regarding adverse impact of anti-dumping duty.

J. CONCLUSION ON INJURY AND CAUSAL LINK

129. Authority notes that the examination of imports into India and performance of the domestic industry clearly show that there is injury to the domestic industry and there is causal link between dumped imports and injury to the domestic industry:
- a. Imports from the subject country in absolute terms have increased from 5,056 MT in 2019-20 to 13,780 MT in the POI.
 - b. Landed price of imports from the subject country during the injury investigation period is well below the cost of sales and selling price of the domestic industry.

- c. Both production and capacity utilisation have reduced from 100 indexed points in 2019- 20 to 93 indexed points in POI.
 - d. Domestic sales have reduced from 100 indexed points in 2019-20 to 85 indexed points in POI.
 - e. Capacity utilisation during the POI is low considering the fact that the demand in India has been growing and the domestic industry has achieved a higher capacity utilisation in 2019-20 and 2020-21.
 - f. Demand of the PUC increased by 73% in the POI as compared to 2019-20. However, the market share of the domestic industry decreased by 51% in the POI as compared to 2019-20 and the market share of imports from the subject country increased by 58% in the POI as compared to 2019-20. Imports from the subject country have captured the entire increase in demand.
 - g. Profit before tax of domestic industry has reduced by 14% in the POI as compared to 2019-20
 - h. Return on capital employed of domestic industry has reduced by 21 % in the POI when compared to 2019-20
 - i. Producers/exporters in China PR have sufficient freely disposable capacity which can be put to use for increasing exports to India
 - j. Capacity of producers/exporters from China PR is higher than the domestic demand in China PR
 - k. Other known factors such as exports, trade restrictive practices, technology, pattern of consumption, decline in demand have not caused injury to the domestic industry.
130. Thus, the Authority notes that the domestic industry is suffering material injury due to increased dumped imports of PUC into India from the subject country. There exists a strong causal relation between the increase in dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country and the material injury suffered by the domestic industry.

K. POST DISCLOSURE SUBMISSION

K.1. Submissions made by the other interested parties

131. The following submissions have been made by other interested parties:

- a. BAPS has submitted that BISL is a related producer of BAPS and had started production of the subject goods after the end of the POI. In view of this, it has submitted that BISL is entitled to the same individual dumping margin, injury margin and consequent duty as of BAPS since if the individual treatment is restricted only to the group entity (BAPS in this case), which has exported the subject goods to India during the period of investigation, then the other group companies (BISL in this case) will neither be able to export their goods at the same rate nor it would be entitled to new shipper review in terms of Rule 22.
- b. Zhejiang Huafon TPU Co., Ltd. has submitted that Covestro is a global company with manufacturing sites and offices in multiple countries like Germany, etc. , that specializes in the manufacture of high-performance polymers and materials. It has further submitted that Covestro (India) Pvt. Ltd. is a related company of Covestro (Hong Kong) Ltd. in China. Currently, Covestro India Pvt. Ltd. is importing the subject goods from China. However, following the imposition of anti-dumping duties on imports of thermoplastic polyurethane (TPU) from China, Covestro India Pvt. Ltd. may start importing the subject goods from its main supplier i.e., Covestro in Germany. This strategy may allow Covestro to establish a monopoly in India by undermining other producers in China PR.
- c. Zhejiang Huafon TPU Co. Ltd has further submitted that the product under consideration is being sold in various grades, each with distinct characteristics and market values. Given this diversity, it has requested that the Authority should recommend variable duty structure on imports of thermoplastic polyurethane (TPU).
- d. Miracll Chemicals Co. Ltd. has not submitted any comments on disclosure statement.

K.2. Submissions made by the domestic industry

132. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The scope of the product under consideration noted by the Authority in its disclosure statement is correct. The same should be confirmed by the Authority in its final findings.

- b. The observation of the Authority that the applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules is correct and should be confirmed in the final findings.
- c. The Authority has correctly determined that imports from China PR are dumped and injurious imports.
- d. The observations of the Authority regarding volume of imports, economic parameters of the domestic industry clearly indicate material injury and threat of further aggravated material injury to the domestic industry due to dumped imports of the PUC from China PR. The observations of the Authority should be confirmed in the final findings as well.
- e. It is clear that there are no other known factors causing injury to the domestic industry. There is clear causal link between dumped imports from China PR and material injury to the domestic industry.
- f. The Authority should recommend imposition of fixed anti-dumping duty on imports of the PUC from China PR for a period of 5 years in its final findings

K.3. Examination by the Authority

- a. With regard to the submission that BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd. is entitled to the same individual dumping margin, injury margin and consequent duty as of BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd., the Authority notes that BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd. was not the producer of the PUC during the POI. Therefore, no individual dumping margin, injury margin can be determined for BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd. and consequently no anti-dumping duty can be prescribed for BASF Integrated Site (Guangdong) Co. Ltd.
- b. With regard to the contention that if anti-dumping duty is imposed on imports from China PR, the domestic industry can start importing the PUC from its parent company in Germany, and can create monopoly in the market, the Authority notes that the imports of the PUC from China PR will be subjected to anti-dumping duty and will not be prohibited. Therefore, it cannot be said that anti-dumping duty will lead to creation of a monopolistic situation. Authority also notes that anti-dumping duty is always country specific. It does not mean that the domestic industry along with imports from other countries will be able to monopolize the market.
- c. With regard to the submission that grade wise variable duty should be prescribed on imports of the PUC, the Authority notes that it has determined the dumping margin and the injury margin for the PUC as a whole. In fact, none of the interested parties requested for adoption of PCN methodology in the present investigation. Thus, the Authority notes that there is no possibility of recommending grade wise variable duty on imports of the PUC.

L. CONCLUSION

133. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of determination of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:
- i. The product under consideration in the present investigation is “thermoplastic polyurethane (TPU)” originating in or exported from China PR. TPU is a melt-processable thermoplastic elastomer having unique properties of plastic and rubber, including elasticity, transparency, and resistance to oil, grease, and abrasion. TPU is thermoplastic elastomer consisting of linear segmented block copolymer composed of hard and soft segments. The PUC covers TPU in the form of powder, granules, pellets, unmodified or modified by colourants, fillers or other additives. The product scope covers polyester-based TPU as well as polyether-based TPU. Polycaprolactone-based TPU is specifically excluded from the scope of product under consideration.
 - ii. The product under consideration has been exported from the subject country at a price below the normal value, thus, resulting in dumping. The dumping margin found in case of imports of the subject goods

originating in or exported from the subject country for all producers/exporters except BASF Polyurethane Specialities China Co. Ltd is not only above de-minimis level but also significant.

- iii. The applicant Covestro (India) Pvt. Ltd. is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- iv. The examination of volume of imports of the subject goods shows that the imports of the subject goods from the subject country have increased significantly in the POI in absolute terms and also in relation to production and consumption in India.
- v. While the market share of the domestic industry declined during the POI, the market share of imports from the subject country has increased significantly in the same period.
- vi. The landed price of imports has been below the net sales realization of the domestic industry in the POI and has been, therefore, undercutting the prices of the domestic industry. Further, the landed price of imports has also been below the cost of sales of the domestic industry in the POI.
- vii. Profitability and return on capital employed of the domestic industry have reduced consistently since 2020-21.
- viii. Key economic parameters such as domestic sales, production have declined in the POI. Capacity utilisation of the domestic industry has remained low despite the fact that demand in India is growing and the domestic industry can achieve 100% capacity utilisation if there are no dumped imports from China PR.
- ix. The domestic industry has suffered injury as a result of dumped imports. The injury margin is positive and significant. There is also threat of further aggravated injury to the domestic industry if anti-dumping duty is not imposed on import of subject goods from China PR.
- x. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.
- xi. It is noted with regard to public interest that anti-dumping duty will have negligible impact on the downstream products. Also, anti-dumping duty does not restrict imports, but only ensures that the imports enter the market at fair prices. Users will continue to have the broader choice and liberty to import the subject goods at fair prices, which will ensure better competition in the market.

134. In view of the above, the Authority, finds that there is sufficient evidence that the product under consideration has been exported to India from the subject country at dumped prices and such dumping of the subject product from the subject country has caused material injury to the domestic industry.

M. RECOMMENDATION

135. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, embassy of the subject country, exporters, importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link.
136. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping of the subject goods from subject country and the consequent injury to the domestic industry. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder for a period of five(5) years.

137. Having regard to the provision contained in Rule 4(d) and Rule 17(1)(b) of the Rules, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the notification to be issued by the Central Government, on imports of the subject goods described at column 3 of the duty table originating in or exported from China PR.

Duty Table

SN	Heading/Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UoM	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3909 5000	Thermoplastic Polyurethane (TPU)*	China PR	Any country including China PR	BASF Polyurethane Specialties China Co., Ltd	NIL	Kg	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Huaфон TPU Co., Ltd	1.15	Kg	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Miracll Chemicals Co. Ltd.	0.93	Kg	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any Country including China PR	Any producer other than S.No. (1), (2) and (3)	1.58	Kg	USD
5.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	1.58	Kg	USD

The custom classification is indicative only and not a binding on the scope of the product under consideration.

** The product scope covers polyester-based TPU as well as polyether-based TPU, and polycaprolactone-based TPU is specifically excluded from the scope of product.*

138. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act.

139. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority